24

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2021-22)

चौबीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2021/फाल्गुन, 1942 (शक)

चौबीसवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2021-22)

10.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
10.03.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2021/फाल्गुन, 1942 (शक)

विषय-वस्तु

		पृष्ठ
	समिति की संरचना	
	संक्षेपाक्षर	
	प्राक्कथन	
	प्रतिवेदन	
	भाग - एक	
1.	**प्रस्तावना**	
2.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) पर समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
3.	बजट विश्लेषण	
3.1	वर्ष 2021-22 के लिए एमईआईटीवाई के अनुदानों की मांग संख्या 26	
3.2	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों की उपयोगिता प्रमाणपत्रों और अव्ययित शेष राशि की स्थिति	
3.3	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)	
4.	राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (एनआईसी)	
5.	स्वदेशी तत्काल संदेशवाहक - जीआईएमएस का विकास	
6.	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	
6.1	सीएससी स्पेशल पर्पस व्हिकल	
6.1.1	सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	
6.1.2	इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन	
6.2	संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स)	
6.2.1	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)	
6.2.2	डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन	
6.3	कोविड संबंधित पहल : को-विन ऐप	
6.4	नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (उमंग)	
	भाग - दो	
	टिप्पिणयां/सिफारिशें	
	अनुलग्नक	

एक.	2017-18 से एमईआईटीवाई के लिए प्रस्तावित आवंटन, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत उपयोग
दो.	निदेशकों की सूची - सीएससी एसपीवी
तीन.	कंपनी - सीएससी एसपीवी की पूंजी संरचना
	परिशिष्ट
एक.	समिति की 10 फरवरी, 2021 को हुई सत्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
दो.	समिति की 8 मार्च, 2021 को हुई इक्कीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदंबरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. श्री निशीथ प्रामाणिक
13. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
14. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
*15. श्री जैदेव गल्ला
16. श्री संजय सेठ
17. श्री चन्दन सिंह
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति तामिझाची
20. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
#21. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी
25. श्री शक्तिसिंह गोहिल
26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मो. नदीमुल हक
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफ़र इस्लाम
30. डॉ. नरेन्द्र जाधव
31. श्री नबाम रेबिआ

सचिवालय

1.	श्री वाई. एम. कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
3.	श्री अभिषेक शर्मा	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

-- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

*समाचार बुलेटिन भाग - दो, दिनांक 15.10.2020 के तहत दिनांक 15.10.2020 से समिति में नामनिर्देशित
#समाचार बुलेटिन भाग - दो, दिनांक 28.12.2020 के तहत दिनांक 28.12.2020 से समिति में नामनिर्देशित

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदानों की मांगो (2021-22) के विषय पर समिति का यह चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का गठन 13 सितंबर 2020 को हुआ। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. में यथा निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

3. समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 9 फरवरी, 2021 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने 10.02.2021 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. 08.03.2021 को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

5. समिति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
8 मार्च, 2021
17 फाल्गुन, 1942 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

भाग 1

प्रतिवेदन

1. <u>प्रस्तावना</u>

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा(इंटरनेट सेवा प्रदाता के लाइसेंस के अलावा सभी मामले)के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय का दृष्टिकोण एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज में परिवर्तित करने के लिए इंजन के रूप में भारत का ई-विकास है। इसका मिशन नागरिकों को सशक्त बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और स्थायी विकास को बढ़ावा देने, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाने, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है जिसमें मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दक्षता बढ़ाना और एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना शामिल है ।

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उद्देश्यों को लागू करने के लिए योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। यह कार्य या तो सीधे अथवा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिम्मेदारी केन्द्रों (संगठनों/संस्थानों) के माध्यम से किए जाते हैं।

प्रौद्योगिकी को मजबूत और अद्यतन बनाने के लिए शिक्षा जगत और सार्वजनिक निजी क्षेत्र से भी सहयोग लिया जाता है।

3. मंत्रालय को सौंपे गये कार्य को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभाराधीन दो सबद्ध कार्यालय हैं (नामतः एनआईसी और एसटीक्यूसी), छह स्वायत्त सोसाइटियां(नामतः, सीडैक, सीएमईटी, एनआईएलआईटी, समीर, एसटीपीआई और ईआरनेट इंडिया), तीन धारा-8 कंपनियां (नामतः एनआईसीआई, निक्सी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी), तीन वैधानिक संगठन (नामतः सीसीए, आईसीआरटी और यूआईडीएआई) और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (नामतः सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) है।

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (2020-21) की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के पांचवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति

2.1 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन 13 मार्च 2020 को लोकसभा को प्रस्तुत किया/राज्यसभा में रखा गया था। विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रक्रिया नियमों के नियम 34(1) के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग को समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों /सिफारिशों के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होता है। अनुदानों की मांगे 2020-2021 के संबंध में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन 8 फरवरी 2021 को लोकसभा को प्रस्तुत किया गया/ राज्यसभा में रखा गया। समिति द्वारा की गई सिफारिशों में

से 12 को स्वीकार कर लिया गया।। पांच सिफारिशों के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे और समिति के 18वें प्रतिवेदन में उन्हें दोहराया गया था । 18वें प्रतिवेदन के अंतिम की गई कार्यवाही उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

3.बजट विश्लेषण

3.1 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदान की मांग संख्या 26

4. पिछले दो वर्षों के लिए और वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय को बजटीय आवंटन इस प्रकार है-

	वास्तविक **(2019-20)**	(बीई) **(2020-21)**	आर ई **(2020-21)**	बीई **(2021-22)**
राजस्व	5531.70	6524.03	5197.00	9274.66
पूंजी	266.60	375.00	353.00	446.00
कुल	**5798.30**	**6899.03**	**5550.00**	**9720.66**

5. जब वास्तविक (2019-20), वर्ष 2020-21 के लिए बीई और आरई और बीई **(**2021-22**)** में अंतर और बीई (2020-21) की तुलना में बीई (2021-22) में पर्याप्त वृद्धि के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

" वित्त वर्ष 2019-20 **में** वास्तविक व्यय 5798.30 करोड़ रुपये था। बीई 2020-21 में निर्धारित बजट 6899.03 करोड़ रुपये था। इसलिए**,** लगभग 1101 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय का 19% थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने**,** राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी**,** इलेक्ट्रॉनिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास के संबंध में अतिरिक्त आवंटन के कारण हुई । हालांकि**,** वित्त वर्ष 2020-21 के बीई और आरई के बीच का अंतर वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कोविड **19** महामारी को देखते हुए 1349.03 करोड़ रुपये की बजटीय कटौती लागू करने के कारण है। इसके अलावा**,** वित्त वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन में बीई 2021-22 के दौरान राशि में लगभग 41 प्रतिशत की अर्थात 2821 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह बढ़ा हुआ आवंटन मुख्य रूप से माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में उल्लिखित घोषणा के मद्देनजर 'डिजिटल भुगतान योजना और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को बढ़ावा देने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर विनिर्माण प्रोत्साहन ' योजना के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए है, जो निम्नानुसार है ;

(i)5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ना है। हमारी विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने की आवश्यकता है,जिनके पास मुख्य क्षमता और अग्रणी तकनीक है। उपरोक्त सभी को प्राप्त करने के लिए,13 क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए पीएलआई योजनाओं की घोषणा की गई है। यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में स्केल और आकार लाने, वैश्विक चैंपियन बनाने और विकास करने और हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगी ।

(ii) हाल के दिनों में डिजिटल भुगतानों में कई गुना वृद्धि हुई है। डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए,मैं एक प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये निर्धारित करती हूं जो डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा ।

(iii) हम एक नई पहल - राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) शुरू करेंगे। यह

प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध किए जा रहे इंटरनेट पर शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को सक्षम करेगा।

6. मंत्रालय का पिछले दो वर्षों के दौरान योजना आबंटन एवं उपयोगिता निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक उपयोग	आरई के संबंध में उपयोग %	बीई के संबंध में उपयोग%
2019-20	12059.39	6654.00	5839.46	5798.30	99.30	87.14
2020-21	11023.00	6899.03	5550.00	3652.94 (as on 31.01.2021)	65.82	52.95
2021-22	13886.00	9720.66				

7. हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित बजटीय सहायता 11023.00 करोड़ रु थी और बजट अनुमान चरण में आबंटित राशि 6899.03 करोड़ रु. थी, जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 5550.00 करोड़ रु.कर दिया गया था । 31.01.2021 तक वास्तविक उपयोग की राशि 3652.94 करोड़ रु.है। 2021-22 के दौरान, प्रस्तावित बजटीय सहायता 13886.00 करोड़ रु.थी और बीई चरण में आबंटित राशि 9720.66 करोड़ रु. थी । 2020-21 के दौरान उपयोग (65.82%) में भारी कमी आई है और वर्ष 2021-22 के दौरान बजटीय सहायता (30%) में अनुवर्ती कटौती हुई है। तथापि 2020-21 से 2021-22 तक बीई में साल-दर-साल 40.90% की वृद्धि हुई है।

8. बीई चरण में आबंटन के लिए प्रस्तावित राशि में 13886.00 करोड़ रु.से भारी कमी करते हुए 9720.66 करोड़ रु.करने के कारण तथा इस भारी कटौती से जिन योजनाओं/गतिविधियों के प्रभावित होने की संभावना है,उनके बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नवत बताया गया :-

" यह तथ्य है कि प्रस्तावित राशि और वास्तविक आबंटन के बीच अंतर है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को निधियों का आबंटन बजटीय प्रक्रिया समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मांगें (व्यय के अनुमान) और भारत सरकार के पास निधि की उपलब्धता (प्रत्याशित सकल राजस्व प्राप्ति पर आधारित)

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधि का उपयोग और प्राप्तकर्ता संगठन के पास पड़ी अव्ययित राशि।

(iii) प्रतिबद्ध व्यय और देयताएं

(iv) प्रमुख कार्यक्रमों को प्राथमिकता

यह भी सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय सामान्यतः चालू योजनाओं के बजटीय प्रावधान में 5-7% की बढ़ोतरी की नीति का अनुसरण करता है। यद्यपि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट आबंटन में बीई 2020-21 से लगभग 41% अर्थात 2821 करोड़ रु. की राशि की बढ़ोतरी हुई है। संभवतः इस समय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोई भी योजना/गतिविधि इससे प्रभावित नहीं होगी। फिर भी यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो मंत्रालय योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध करेगा अथवा बचतों के पुनः विनियोजन से योजना के अंतर्गत निधि में बढ़ोतरी की जाएगी/अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग रखी जाएगी।

9. जब आरई के संबंध में उपयोगिता में कमी आई, जो कि 65.82 प्रतिशत है, का कारण बताने के लिए कहे जाने पर और यह पूछे जाने पर कि क्या 2020-21 के दौरान आबंटित की गई निधि का मार्च 2021 की समाप्ति तक पूर्णत: उपयोग कर लिया जाएगा, मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उपयोग में कमी (31.01.2021 तक)के निम्नलिखित कारण है :

(i) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 08.04.2020, 23.06.2020 और 28.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(13)-बी(डब्ल्यूवएम)/2020 के मद्देनज़र इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरंभिक सात महीनों (अप्रैल-अक्तूबर 2020) के दौरान बीई 2020-21 के मासिक व्यय को 5% पर सीमित किया हुआ था।

(ii) तीसरी तिमाही के दौरान 5% से ऊपर व्यय करने की छूट वित्त मंत्रालय से दिनांक 29 अक्तूबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(17)-बी(पीवए)2020 के माध्यम से बजट पूर्व बैठक के बाद प्राप्त हुई थी।

(iii) आरई चरण में की गई रु.1349.03 करोड़ रु. की समग्र कटौती के कारण इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान

निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय अनुमानों की समीक्षा और निधियों का पुनः आबंटन करना पड़ा, जिसमें वित्तीय शक्तियों के नियमों के प्रत्यायोजन (डीएफपीआर) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ निधि को पुनः विनियोजित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार 487.08 करोड़ रु.की निधि के पुनः विनियोजन हेतु एक प्रस्ताव को अनुदान 2020-21 के लिए अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के माध्यम से संसद के अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था। यह अनुमोदन मार्च 2021 तक प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसके पश्चात आवश्यक व्यय किया जाएगा।

अतः इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आशा है कि मार्च 2021 की समाप्ति तक आरई 2020-21 के आबंटनों का पूरा व्यय कर लिया जाएगा।

10. 2018-19 से 2020-21 तक योजना-वार बीई, आरई और वास्तविक व्यय तथा 2021- 22 हेतु बीई निम्नानुसार है;

क्र. सं.	**योजना / गैर-योजना**	**2018-19**			**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**
		बीई	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**
1	**सचिवालय (एमईआईटीवाई)**	100.00	100.00	105.31	110.24	110.00	95.64	116.03	99.18	74.50	109.33
2	**राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी)**	1100.00	1207.36	1209.11	1150.00	1257.91	1269.03	1285.00	1300.00	989.24	1400.00
3	**विनियामक**	**157.**	**148.**	**142.**	**170**	**163**	**146.**	**274**	**212.**	**149.6**	**345.**

	प्राधिकरण	**00**	**83**	**47**	**.00**	**.00**	**51**	**.00**	**00**	**5**	**00**
3.1	एसटीक्यूसी कार्यक्रम	110.00	110.00	107.47	120.00	120.00	109.50	125.00	114.00	84.37	120.00
3.2	साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन), एनसीसीसी और डेटा शाषण	40.00	31.83	29.90	42.00	35.00	29.98	140.00	90.00	61.22	216.00
3.3	प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए)	7.00	7.00	5.10	8.00	8.00	7.03	9.00	8.00	4.06	9.00
	योजनाएं										
4	**डिजिटल इंडिया कार्यक्रम**	**3073.00**	**3352.81**	**3328.54**	**3750.766**	**3212.52**	**3191.09**	**3958.00**	**3044.82**	**1724.47**	**6806.33**
4.1	इलेक्ट्रॉनिक शासन	425.00	425.00	421.65	450.00	402.87	402.06	425.00	415.82	257.21	425.00
4.2	जनशक्ति विकास	300.00	300.00	300.00	400.75	338.00	337.97	430.00	190.00	68.60	400.00
4.3	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	150.00	320.00	320.00	160.00	274.64	274.64	400.00	584.00	399.40	500.00
4.4	इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन (एम-सिप्स, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	864.22	844.22	727.35	986.00	690.00	655.08	980.00	700.00	245.97	2631.32

4.5	आईटी और आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा देना	50.00	43.81	64.77	100.00	90.00	90.00	170.00	100.00	14.61	150.00
4.6	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)	110.00	110.00	107.48	120.00	102.00	92.07	170.00	80.00	24.07	200.00
4.7	आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/ सीसीबीटी में आर एंड डी	178.00	180.00	179.00	416.00	435.00	427.74	762.99	425.00	375.65	700.00
4.8	पीएमजीदिशा	400.00	438.00	438.00	518.00	400.00	400.00	400.00	250.00	150.00	300.00
4.9	डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना	595.78	691.78	770.29	600.00	480.00	511.53	220.00	300.00	188.96	1500.00
4.10	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
5	स्वायत्त और अन्य निकायों की सहायता										
5.1	प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	127.00	127.00	127.00	200.00
5.2	इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र(सी-मेट)	20.00	24.71	24.71	30.00	33.25	33.25	50.00	40.00	37.50	80.00
5.3	सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड	70.00	97.29	97.29	90.00	100.00	100.00	98.00	88.00	88.00	120.00

	रिसर्च (समीर)										
5.4	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	1375.00	1345.00	1344.99	1227.00	836.78	836.78	985.00	613.00	459.58	600.00
5.5	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00
5.6	डिजिटल इंडिया कारपोरेशन (डीआईसी)	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	10.00
	कुल योग	**6000.00**	**6381.00**	**6357.42**	**6654.00**	**5839.46**	**5798.30**	**6899.03**	**5550.00**	**3652.94**	**9720.66**

*31.01.2021 तक

11. वर्ष 2017-18 से सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हेतु आरई के संबंध में प्रस्तावित आवंटन, बीई, आरई, वास्तविक व्यय एवं प्रतिशत उपयोग का ब्यौरा अनुबंध -1 पर दिया गया है।

12. बजट में वृद्धि के बारे में, सचिव, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

'बजट 6,899 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,720 करोड़ रुपये हो गया है। अत:, यह लगभग 40.9 प्रतिशत की वृद्धि है और इसमें काफी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से योजना के हिस्से में हुई

है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है । पूरी वृद्धि -पिछले साल 3958 करोड़ रुपये से इस साल 6806 करोड़ रुपये- वास्तव में, उसमें आ गई है। इस वृद्धि को समाहित करने वाले दो क्षेत्रों में से एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है, जो पिछले साल के 980 करोड़ रुपये से बढ़कर 2631 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह यह पिछले साल के आवंटन से 1651 करोड़ रुपये अधिक है। एक अन्य क्षेत्र में पिछले साल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 220 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। इस साल यह 1500 करोड़ रुपए है। इस तरह उसमें 1280 करोड़ रुपये अतिरिक्त हैं। यदि हम इन दो मदों की गणना करें जहां बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वे समग्र वृद्धि के लिए खाते हैं । वास्तव में,सूचना प्रौद्योगिकी पर सभी 5 शेष मदों के बारे में बजट 110 करोड़ रुपये है, जो हमें पिछले साल किये गए आवंटन की तुलना में कम है। इसलिए, पिछले वर्ष हमें जो कुछ मिला था, उसी तुलना में इस वर्ष बजट की यह व्यापक स्थिति है। सूचना प्रौद्योगिकी पर 5 शेष मदों के बारे में 110 करोड़ रुपये है, जो हमें पिछले साल किये गए आवंटन की तुलना में कम है। इसलिए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट की यह व्यापक स्थिति है।

13. उपयोग में कमी पर सचिव ने आगे निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

हमारे बजट में कटौती की गई थी और महामारी के दौरान सरकार के स्तर पर संसाधनों की कमी के कारण यह समझ में आता है। एक शर्त यह भी थी कि आवंटित बजट का 15 प्रतिशत से अधिक पहली दो तिमाहियों में खर्च नहीं किया जाएगा और यह तीसरी तिमाही

में भी गया। इसके परिणामस्वरूप मुख्य रूप से हम व्यय को प्राप्त नहीं कर पाए जो हमने पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। इस समय, हमारे सभी कार्यक्रम अब जोरों पर हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम आरई में हमें आवंटित किए गए कटौती बजट को व्यय करने में सक्षम होंगे।

बकाया यूसी की स्थिति और राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अव्ययित शेष

14. मंत्रालय ने 31 दिसम्बर 2020 को बकाया यूसी की स्थिति और अव्ययित शेष संबंधी निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की:

	राशि करोड़ रुपये में	यूसी की संख्या
बकाया यूसी	485.95	170
अव्ययित शेष ,जिनके लिए यूसी बकाया नहीं	2638.52	589
राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ कुल अव्ययित शेष	**3124.47**	**759**

15 1.4.2020 और 03.02.2021 को लंबित यूसी की स्थिति निम्नानुसार है:

	01.04.2020	**03.02.2021**	अंतर / परिसमाप्त	परिसमापन का **%**

	को	को		
लंबित यूसी की संख्या	372	151	221	59%
लंबित राशि	1171.60	406.58	765.02	65%

16. मंत्रालय ने आगे प्रस्तुत किया कि पिछले दस महीनों के दौरान लंबित यूसी की संख्या 372 से घटकर 151 हो गईं है और तदनुरूपी राशि भी काफी हद तक कम हो गई है (65% अर्थात 765.02 करोड़ रुपये) । इसलिए, उन्होंने लंबित यूसी को नष्ट करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा उठाए गए उपायों को फलदायी साबित किया है क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए ग्रैवी संस्थानों के साथ अनिश्चितकालीन संतुलन लगातार कम हो रहा है। एमईआईटीवाई समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रही है ताकि विभिन्न परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयनयन सुनिश्चित किया जा सके जो आगे यह सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी अनुदान का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा,सचिव और एसएस और एफए (एमईआईटीवाई) विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर यूसी की स्थिति की समीक्षा करते हैं। इस तरह, एमईआईटीवाई अनुदान प्राप्त संस्थानों के साथ शून्य लंबित यूसी और न्यूनतम खर्च नहीं की गई राशि की दिशा में प्रयास कर रहा है।

17. यूसी की सही संख्या जो मार्च 2021 में देय होगी , मंत्रालय ने सूचित किया कि चूंकी यूसी का परिसमापन एक निरंतर प्रक्रिया है, यूसी की सटीक संख्या जो मार्च 2021 में देय हो जाएगी को 1 अप्रैल 2021 को सुनिश्चित किया जा सकता है । हालाँकि, यदि यह काल्पनिक रूप से माना जाता है कि 03.02.2021 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान कोई और यूसी प्राप्त नहीं हुआ है, तो 01.04.2021 को होने वाले यूसी की सटीक संख्या निम्नानुसार है:

03.02.2021 की स्थिति के अनुसार	**राशि (करोड़ रु. में)**	**यूसी की संख्या**

आज की तारीख में पहले से देय यूसी	406.58	151
01.04.20 21को देय होने वाले यूसी	1394.55	259
कुल	**1801.13**	**410**

<u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

18. मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्वायत सोसाइटियों / कार्यालयों के संबंध में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए आईईबीआर की स्थिति के साथ-साथ प्रस्तावित आईईबीआर, बीई और आरई चरण में आईईबीआर और वास्तविक उपयोग की स्थिति के बारे में मंत्रालय ने निम्नांकित सूचना प्रस्तुत की:

(करोड़ रु. में)

सोसाइटी का नाम	**2019**-20			**2020**-21		
	प्रस्तावित/बीई	आरई	उपलब्धि	प्रस्तावित/बीई	आरई	उपलब्धि (31.12.2020 के स्थिति के अनुसार)
नाइलिट	373.14	384.60	330.64	410.95	319.87	190.41
अर्नेट	90.00	70.00	60.00	85.00	60.00	38.31
एसटीपीआई/ईएचटीपी	194.50	214.57	201.91	224.13	219.20	157.09
सी-डैक	500.00	500.00	1246.45	800.00	800.00	354.05
समीर	60.00	60.00	63.80	65.00	65.00	35.65
सी-मेट	31.25	31.25	31.56	34.00	34.00	18.41
कुल	**1248.89**	**1260.42**	**1934.36**	**1619.00**	**1498.07**	**793.92**

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) के लिए आरई में लक्ष्य के संदर्भ में आईईबीआर की उपलब्धियां क्रमशः 153% और 47 % है। अंत: वित्तीय वर्ष 2020-21 (31 दिसंबर 2020 तक) के दौरान कमी कोविड-19 महामारी के कारण है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

19. वर्ष 1976 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सतत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रवर्तक के रूप में उभरा है। एनआईसी को पिछले 4 दशकों में आईसीटी और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने का समृद्ध अनुभव है। एनआईसी ने आईसीटी नेटवर्क, एनआईसीनेट की स्थापना करके केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के लगभग 720+ जिला प्रशासनों के साथ संस्थागत संबंधों को सुगम बनाया है। एनआईसी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और विजन के साथ स्वयं को संबद्ध किया है। मोबाइल, क्लाउड, डाटा एनालिटिक्स, बीआई और उन्नत जीआईएस सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जेनेरिक, कॉन्फ़िगरेबल ई-गवर्नेंस उत्पादों/अनुप्रयोगों को विकसित किया गया है । अगले दशक में देश में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रव्यापी डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्कृष्टता के विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं । एनआईसी के डेटा केंद्र सुरक्षित वातावरण में सरकार की 8,000 से अधिक वेबसाइटों की मेजबानी करते हैं। एनआईसी नेशनल क्लाउड (मेघराज) वर्तमान में डिजिटल इंडिया के तहत 1200 से अधिक ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उपयोगकर्ता विभागों का समर्थन करने वाले 20,000 से अधिक आभासी सर्वरों पर कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की मेजबानी कर रहा है। एनआईसी की वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवा सरकारी अधिकारियों को दूर से और प्रभावी ढंग से एक दूसरे से जुड़ने में मदद कर रही है । वर्तमान में रिमोट वर्किंग बढ़ाने,होम कल्चर से काम करने और अधिक ऑनलाइन सेवाओं की मांग के महामारी उपरांत परिदृश्य में एनआईसी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान कर रहा है । एनआईसी ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को अंजाम देने के साथ-साथ महामारी उपरांत समय में सरकार के लिए सफलतापूर्वक एक डिजिटल रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है । एनआईसी उत्पादों और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दी गई है जिसमें कई देश आईटी और ई-गवर्नेंस में एनआईसी का समर्थन लेने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं ।

20. इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 के लिए प्रदान किया गया बजट अनुमान (बी ई) 1400 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के संबंध में बीई, आरई और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बीई	आरई	ए ई
2019-20	1150.00	1257.91	1269.03
2020-21	1285.00	1300.00	989.24 (31.01.2021 तक)
2021-22	1400.00		

21. यह पूछे जाने पर कि अपने भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने और अपनी परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक करने में एनआईसी द्वारा क्या बाधाओं का सामना किया जा रहा है, मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2020-21 में एनआईसी ने शासन के सभी स्तरों- केंद्र, राज्य और जिलों में नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढावा देने और उनकी आपूर्ति के लिए विभिन्न आईसीटी पहल की हैं। जनशक्ति उन बाधाओं में से एक है। अन्य प्रमुख गतिरोध देश भर में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और गतिविधियों के विशाल विस्तार के अनुरूप अवसंरचना का अभाव है।

22. इस प्रश्न कि **कोविड -19 महामारी के दौरान एनआईसी को किन विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मंत्रालय ने बताया कि** महामारी हम सभी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण अनूठा अनुभव रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इस तरह के कठिन समय के दौरान

अपनी बिना रुकावट वाली सहज सेवाएं प्रदान करने में कामयाब रहा । एनआईसी के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- प्राथमिक चुनौती यह थी कि महत्वपूर्ण सेवाओं को चालू रखा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल, आईटी डोमेन और नागरिक केंद्रित परिवहन जैसी सेवाओं को शून्य डाउनटाइम के साथ चालू रखना चुनौतीपूर्ण था।
- महत्वपूर्ण सरकारी उद्देश्यों के कामकाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, डेटा केंद्र सुविधाओं के लिए हर समय व्यस्थित और सुचारू कार्य करना अनिवार्य था। दूसरी बड़ी चुनौती डेटा सेंटर और संबद्ध आईटी अवसंरचना की 24x7 कार्यप्रणाली थी।
- विदेशों और विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से साइबर हमले के प्रयास बढ़े थे। नए एप्लिकेशन और महामारी और लॉकडाउन से संबंधित सेवाओं की बुकिंग के लिए सुरक्षा और भेद्यता रेटेड की बढ़ती मांग थी।
- घर से कार्य के दौरान एंडपॉइंट सुरक्षा प्रदान करना भी एक चुनौती थी। महामारी के दौरान अनुप्रयोग परत हमलों में वृद्धि देखी गई।
- एनआईसी और उसके कर्मचारियों को चरम और महामारी के दिनों में काम करने जारी रखना पड़ा। एनआईसी के लिए एक और चुनौती यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी प्रसार की संभावनाओं को छोड़ते हुए यह सबसे सुरक्षित तरीके से संभव हो सकें।
- एक और चुनौती हार्डवेयर में खराबी की स्थिति में नए उपकरणों और कलपुर्जों की खरीद थी क्योंकि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण गोदाम और विक्रेता आउटलेट बंद थे।

23. यह पूछे जाने पर कि इन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया, मंत्रालय ने जानकारी प्रदान की कि एनआईसी महामारी के समय में चीजों को करने के तरीके को फिर से स्थापित करने में सबसे आगे रहा है। चूंकि एनआईसी का बुनियादी ढांचा 24x7 डिजिटल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे एक आवश्यक सेवा के रूप में एमएचए और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- एनआईसी के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह अपनी सेवाओं को जारी रखे और संकट के दौरान सरकार के आईटी कार्यों को बनाए रखे, डिजिटल सक्षमता में तेजी लाने के

लिए, कर्मचारियों को कम से कम समय में लैपटॉप और डेटा कार्ड प्रदान किए गए, और कर्मचारी को वीसी, ई -फाइलिंग, डिजिटल साइन आदि का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया ।

- यह ध्यान देने योग्य है कि एनआईसी ने हमारे काम पर संकट के प्रभाव को कम करने के लिए एनआईसी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल सहयोग के अन्य रूपों के लिए जल्दी और प्रभावी रूप से प्रौद्योगिकियों को अपनाया था। एनआईसी 24X7 घंटे और मैनपावर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सफल रहा है। 'काम एक साथ' की अवधारणा में विकृति के साथ, व्यक्तियों को सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निर्बाध रूप से अंजाम देने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बनाया गया है।

- महत्वपूर्ण सरकारी उद्देश्यों के निर्बाध रूप से कामकाज को बनाए रखने के लिए, डेटा केंद्र सुविधाओं के लिए हर समय व्यस्थित और सुचारू कार्य करना अनिवार्य था। यह सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी ने भुवनेश्वर, हैदराबाद और दिल्ली में डेटा सेंटरों पर कर्मचारियों के लिए एक राउंड-रॉबिन (सर्कुलेटिंग रोस्टर)की व्यवस्था की थी। कुछ बिंदु पर तकनीकी कर्मचारियों के रहने और भोजन की व्यवस्था डेटा केंद्र में की गई थी।

- इन देशों से हमले के प्रयासों की निगरानी और अवरुद्ध करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण तैनात किए गए थे। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया था। विश्वसनीय नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करके सुरक्षा ऑडिट प्रारंभ और पूरा किया गया और प्रतिबंधित आवश्यक पोर्ट एक्सेस को ऑडिट के लिए खोल दिया गया। एनआईसी हैडक्वार्टर और सीओई-एप्प सैक्शन केंद्रों से आवश्यक ऑडिट संसाधनों का उपयोग कोड समीक्षा और ब्लैक बॉक्स परीक्षण ऑडिट गतिविधि के प्रावधान के लिए किया गया था ।

- वर्क फ्रॉम होम के दौरान एंडपॉइंट सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एंटीवायरस सॉल्यूशन के रोमिंग क्लाइंट का प्रावधान किया गया था।

- एनआईसी ने सभी कर्मचारियों के कार्यालय में आने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप दिशानिर्देश और रोस्टर तैयार किए थे।

- एनआईसी ने देश भर में तैनात आपातकालीन कर्मचारियों के लिए विशेष पास की सुविधा पर काम किया और प्रमुख सरकारी संगठनों के लिए अंतर-राज्य सीमा पारगमन के लिए एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन विकसित किया।

- एनआईसी के कर्मचारियों को कम्यूट/यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई थी, जबकि संकटकाल के दौरान सार्वजनिक परिवहन बंद हो गया था। एसआईओ और डीआईओ सहित एनआईसी के कुछ अधिकारियों को महामारी की शुरुआत में कार्यस्थल पर तत्काल सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

- एनआईसी ने अपने सभी कर्मचारियों और संबंधित कर्मचारियों के लिए सुरक्षित उपयोगकर्ता यात्रा की योजना बनाई थी।

- मुख्य बुनियादी ढांचे (पुर्जों, यूपीएस, उपकरण, आदि की सुविधा प्रौद्योगिकी भागीदारों और सेवा के माध्यम से की गई थी, जब लॉकडाउन के दौरान उनके गोदाम और समर्थन केंद्र बंद हो गए थे। ऐसे उदाहरणों के लिए एमएचए से विशेष अनुमति का अनुरोध किया गया था, जहां अंतर-शहर और इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता थी।

- कोविड-19 अवधि के दौरान, विभिन्न स्तरों पर महामारी से निपटने के लिए विकसित किए गए भागीदारी की संख्या के रूप में होस्टिंग आवश्यकताओं में अचानक वृद्धि हुई है। पीएमओ, केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अधीनस्थ संगठनों, आदि को 24x7 आधार संचालन के लिए तत्काल होस्टिंग की आवश्यकता है। इनमें कोविड-19 और अन्य संबंधित एप्लिकेशन / पोर्टल्स जैसे पीएम-डैसबोर्ड, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग, आईसीएमआर डेटा, कोविड वारियर / वालंटियर, प्रवासी सूचना पोर्टल, कृषि उपज के परिवहन के लिए किसान रथ, ई-पास आदि शामिल हैं।

24. समिति द्वारा एनआईसी में अपेक्षित/वर्तमान में कार्यरत जनशक्ति/ प्रौद्योगिकीविदों/ अभियंताओं की अद्यतन स्थिति के साथ उनकी आवश्यकता संख्या के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त किए जाने पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि एनआईसी में जनशक्ति के अभाव का पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया है। वर्तमान में एनआईसी के पास 4212 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 3396 की जनशक्ति / प्रौद्योगिकीविद / अभियंता हैं।

25. एनआईसी में 1407 पदों (जिसे बाद में 1399 कर दिया गया) के सृजन की वर्तमान स्थिति के विषय में मंत्रालय ने जानकारी दी कि एनआईसी में 1407 (जिसे बाद में 1399 कर दिया गया) पदों के सृजन का प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था। इस प्रस्ताव को सभी स्तरों पर विचार-विमर्श के बाद माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मंजूरी दे दी और सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को सौंप दिया। कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग के साथ वित्त मंत्रालय से प्रस्ताव वापस आ गया, जिसकी विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई और विस्तृत स्पष्टीकरण को आगे विचार किए जाने के लिए फरवरी, 2020 में एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को पुन: प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं और अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे प्रशासनिक माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए संकलित किया जा रहा है।

26. यह पूछे जाने पर कि एनआईसी में पर्याप्त स्टाफ करने के लिए वर्ष 2021-22 हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा वैज्ञानिक-बी और वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए के स्तर पर लगभग 500 पदों को भरने के लिए भर्ती की स्थिति क्या है जिसे 2020-21 के दौरान पूरा किया जाना था, यह बताया गया कि वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक के 207 पदों के लिए लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है और परिणाम जल्द ही घोषित होने की संभावना है। वैज्ञानिक-बी के 288 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अग्रिम चरण में है जहां लिखित परीक्षा संपन्न हुई है और एनआईईएलआईटी द्वारा शीघ्र ही साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

27. मंत्रालय ने आगे बताया कि जनशक्ति के लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए एनआईसी समूह-क (वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ) में एसएंडटी अधिकारी की भर्ती का प्रस्ताव भी पेश कर रहा है, जिसके लिए भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं।

<u>इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम (जीआईएमएस) का विकास</u>

28. अनुदानों की मांगों (2020-21) की जांच के दौरान मंत्रालय ने सूचित किया था कि एनआईसी गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम (जीआईएमएस) पर काम कर रहा है जो ओपन सोर्स, क्लाउड इनेबल्ड, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार के डेटा सेंटर पर होस्ट किया गया है ।जीआएमएस सरकार और नागरिकों के बीच इंस्टैंट मैसेजिंग के लिए एनआईसी द्वारा विकसित ओपन सोर्स आधारित, सुरक्षित, क्लाउड इनेबल्ड और स्वदेशी प्लेटफार्म है। मोबाइल ऐप, पोर्टल और गेटवे जीआईएमएस के तीन प्रमुख घटक हैं। ऐप को मैसेजिंग का प्रबंधन करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और अन्य सरकारी ऐप्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है। मैनेजमेंट पोर्टल ऑर्गनाइजेशन और इम्प्लॉई ऑन-बोर्डिंग, ग्रुप मैनेजमेंट, इम्प्लॉई वेरिफिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग मेसेज, डैशबोर्ड और एनालिटिक्स के लिए है। मैसेजिंग गेटवे अन्य सरकारी एप्स के साथ मैसेजिंग और इंटीग्रेशन का प्रबंधन करता है। जीआईएमएस को फिलहाल एनडीसी शास्त्री पार्क में होस्ट किया गया है और एंड्रॉयड और आईओएस वर्जन https:// gims.gov.in पर उपलब्ध हैं। ऐप के पीओसी में 150 संगठनों के लगभग 50,000 उपयोगकर्ताओं ने भाग लिया है।

29. जीआईएमएस की मुख्य विशेषताएं ईमेल और मोबाइल आधारित स्वपंजीकरण, वन टू वन संदेश, ग्रुप मैसेजिंग सपोर्टिंग ऑफिशियल, कैजुअल और लिस्ट ग्रुप लिस्ट, फ़ाइल और मीडिया शेयरिंग, ऑडियो/वीडियो कॉल, प्रोफाइल और कांटैक्ट मैनेजमेंट, मैसेज ब्रॉडकास्टिंग और चैटबॉट समर्थित डैशबोर्ड शामिल हैं। प्लग करने योग्य ई2ईई एल्गोरिदम, सुरक्षित ओटीपी और सुरक्षित बैकअप का उपयोग जीआईएमएस को तत्काल संचार के लिए एक

सुरक्षित प्लेटफार्म बनाता है। जीआईएमएस वेब संस्करण उपयोगकर्ता को वेब ब्राउज़र से संदेश भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ऑडियो/वीडियो कांफ्रेंस सुविधा, संवर्धित चैटबॉट और रिमोट बैकअप के लिए विकल्प और डेटा का वाइपआउट भविष्य की कार्य योजना में में कुछ प्रमुख मील के पत्थर हैं।

30. गवर्नमेंट इंस्टैंट मेसेजिंग सिस्टम (जीआईएमएस) को विकसित किए जाने के संदर्भ में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि सिस्टम मोबाइल और ईमेल के माध्यम से पंजीकरण के साथ तैयार है । इसका उपयोग सरकार में लोगों और सरकार से जुड़े लोगों के साथ किया जा सकता है । नीति आयोग, एमईआईटीवाई, सीबीआई, एमईए, भारतीय रेलवे, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), आईबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, डीओटी, डीआरडीओ, एकीकृत रक्षा कर्मचारियों (आईडीएस), एमएचए, डीडीडब्ल्यू एण्ड एस, डीजीटी आदि और विभिन्न राज्य सरकारों के विभाग सहित 150 से अधिक संगठनों द्वारा पीओसी किया जाता है। जीआईएमएस पहले से एनआईसी ईमेल तथा डिजीलॉकर के साथ इंटीग्रेटेड है। ईऑफिस के साथ इंटीग्रेशन भी कुछ स्तरों पर उपलब्ध है। इससे अधिक इंटीग्रेशन की संभावना तलाशी जाएगी।

31. यह पूछे जाने पर कि क्या जीआईएमएस ऐप केवल सरकारी अधिकारियों/संस्थाओं द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगा या यह आम जनता द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगा, समिति को सूचित किया गया कि जीआईएमएस ऐप आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी यूजर इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा के लिए जीआईएमएस ऐप डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकता है ।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम

32. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें एमईवाईवाई द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं चल रहीं सभी योजनाओं / कार्यक्रमों / परियोजनाओं को समामेलित किया गया है। यह एक साथ व्यापक विचारों और विचार-प्रक्रिया को एक एकल ,व्यापक दृष्टि में जोड़ता है ताकि उनमें से प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में लागू किया जा सके। प्रत्येक व्यक्तिगत तत्व अपने दम पर खड़ा है, लेकिन पूरी सरकार का हिस्सा भी है।

33. डिजिटल इंडिया का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, *अर्थात* (i) प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल अवसंरचना (ii) मांग आधारित शासन और सेवाएँ और (iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल भारत का लक्ष्य वृद्धि क्षेत्रों के नौ स्तंभों पर अधिक ज़ोर देना है *अर्थात्* (i) ब्रॉडबैंड हाईवे (ii) मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच (iii) सार्वजनिक इंटरनेट अभिगम कार्यक्रम (iv) ई-शासन - प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार (v) ई-क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी (vi) सभी के लिए सूचना (vii) इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण - लक्ष्य नेट शून्य आयात (viii) नौकरियों के लिए आईटी और (ix) शीघ्र फलदायी कार्यक्रम।

34. विगत वर्षों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को किये गए आवंटन का ब्योरा निम्नानुसार है:

योजना / कार्यक्रम का नाम	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**

	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय। 31.01.2021 तक)	बीई
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	**3073.00**	**3352.81**	**3328.57**	**3750.76**	**3212.52**	**3191.09**	**3958.00**	**3044.82**	**1724.47**	**6806.33**
जनशक्ति विकास	300.00	300.00	300.00	400.75	338.00	337.97	430.00	190.00	68.60	400.00
इलेक्ट्रॉनिक शासन	425.00	425.00	421.66	450.00	402.87	402.06	425.00	415.82	257.21	425.00
इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना	864.22	844.22	727.37	986.00	690.00	655.08	980.00	700.00	245.97	2631.32
आईटी / आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना	50.00	43.81	64.77	100.00	90.00	90.00	170.00	100.00	14.61	150.00
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	150.00	320.00	320.00	160.00	274.64	274.64	400.00	584.00	399.40	500.00
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीबीटी में आर और डी	178.00	180.00	179.00	416.00	435.00	427.74	762.99	425.00	375.65	700.00
साइबर सुरक्षा	110.00	110.00	107.48	120.00	102.00	92.07	170.00	80.00	24.07	200.00

परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)										
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा	595.78	691.78	770.29	600.00	480.00	511.53	220.00	300.00	188.96	1500.00
पीएमजीदिशा	400.00	438.00	438.00	518.00	400.00	400.00	400.00	250.00	150.00	300.00
चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना				0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

35. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इस प्रोग्राम के अंतर्गत अतिरिक्त उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :

'' डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल लेनदेन की जबरदस्त वृद्धि और डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन और उभरते डेटा गोपनीयता पहलुओं के दौरान डेटा की सुरक्षा के संबंधित पहलू के कारण, साइबर सुरक्षा डेटा ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और स्टोक प्रक्रियाओं के दौरान डेटा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी नवाचारों ने एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और आईओटी और 5जी प्रतिमान को शामिल किया है । हालांकि, साइबर हमले अधिक से अधिक अनुकूलन होते रहे हैं, यह आवश्यक है कि, साइबर स्पेस में इस तरह के अप्रत्याशित लेनदेन का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान और उत्पादों को विकसित करने की आवश्यकता है। ''

साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम ने साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास का एक महत्वपूर्ण मास बनाया है, जिसे निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि, एआई आधारित साइबर इंटेलिजेंस, 5जी सुरक्षा,

आईओटी सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, समलैंगिक सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक जैसे प्रौद्योगिकी के नए और उभरते क्षेत्रों में समयबद्ध अनुसंधान और विकास को विकसित करने और लागू करने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक हैं।

इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप वर्किंग में पूरी तरह से परिवेर्तन आया है और वर्क-फ्रॉम-होम (डब्ल्यूएफएच)कार्य करने के पसंदीदा मोड में से एक बन गया है।इसे देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी आर एंड डी प्रोग्राम के तहत, डब्ल्यूएफएच परिदृश्य के लिए साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने के लिए स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के माध्यम से नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है।

मौजूदा आरएंडडी फंडिंग में से अधिकांश चल रही परियोजनाओं को बनाए रखने में खपत होती है, जिससे नई साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए परियोजनाओं को लेने के लिए कोई फंड नहीं है।

इसलिए साइबर आरएंडडी योजना के लिए साइबर सुरक्षा कुल बजटीय सहायता के उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए काफी संवर्धित होने की आवश्यकता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आने वाली प्राथमिक कठिनाइयों के लिए डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी हैं। सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों और भारतनेट परियोजना को कवर करने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान (पीएमजीदिशा)" को लागू करने के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं ताकि 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी के साथ देश में सभी 250,000 ग्राम पंचायतों (जीपी)को जोड़ा जा सके ।

उपरोक्त के अलावा, डिजिटल इंडिया के स्तंभ -3 के तहत सीएससी-2.0 परियोजना के रोलआउट को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक विश्वसनीय कनेक्टिविटी, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, जनसंख्या फुटफॉल और कठिन क्षेत्र के कारण आत्मनिर्भरता हैं। इसे कम करने के लिए अब तक प्रभावी उपाय किए गए हैं, जबकि, वित्त वर्ष 2021-22 इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, पास के सीएससी केंद्र उन क्षेत्रों में ऑफ़लाइन सेवाएं प्रदान करेंगे,जहां सीएससी उपरोक्त कारणों के कारण उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, कार्यान्वयन एजेंसी तैयार और शिक्षित व्यक्तियों की पहचान कर रही है, जो सीएससी आवंटन के लिए एक वीएलई बनना चाहते हैं, जो किसी भी तरह से कनेक्टिविटी की उपलब्धता के अधीन है।

सरकारी सिलोस में निर्बाध सेवा वितरण को सक्षम करने और अन्य ई-गवर्नेंस सेवाओं और प्रणालियों के साथ त्वरित और पारदर्शी सॉफ्टवेयर एकीकरण को सक्षम करने के लिए ओपन और इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए; एक परियोजना 'राष्ट्रीय डेटा राजमार्ग (एनडीएच) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। परियोजना के तहत, एक प्लेटफार्म https://apisetu.gov.in विकसित किया गया है, जिसमें 150 प्रकाशक/उपभोक्ता संगठन को उपलब्ध 718 एपीआई के साथ ओन-बोर्ड किया गया है । प्रमुख एपीआई में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, पैन, सीबीएसई, एलआईसी, ई-अस्पताल प्रशिक्षण से एनआईसी आदि शामिल हैं।

36. जब समिति ने यह जानना चाहा कि बढ़ी हुई आबंटन राशि को किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है, तो इस पर मंत्रालय ने सूचित किया कि बढ़ी हुई आबंटन राशि मुख्यत: राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी नीति 2019 के अंतर्गत अधिसूचित तीन नई योजनाओं के लिए है। मंत्रालय बढ़ी हुई आबंटन राशि का उपर्युक्त योजनाओं के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपयोग करेगा। इसी प्रकार सं0अ0 स्तर पर 2020-

21 में 300 करोड़ रुपये से योजना के आबंटन को पांच गुणा बढ़ाकर ब.अ. स्तर पर 2021-22 में 1500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बढ़ाई गई आबंटन राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजन के लिए किया जाएगा :-

क. बैंकों के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजनाएं (एमडीआर के समान)
ख. विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण
ग. स्वीकृत अवसंरचना को मजबूत करना
घ. अखिल भारतीय प्रचार और वित्तीय साक्षरता और स्थानीय भाषाओं में प्रोत्साहन के लिए जागरूकता अभियान
ङ फिनटेक के प्रचार के लिए नवाचार और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए
च.एनईआर, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ डिजिटल भुगतान और स्वीकृत अवसंरचना का संवर्धन।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी)

37. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को सरकार द्वारा साझा दृष्टिकोण कार्यान्वयन विधि और प्रबंधन ढांचे के साथ 18 मई, 2006 को स्वीकृति दी गई थी। एमईजीपी की सहायता से देश में राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना अर्थात् राज्य डाटा केन्द्र एप्लीकेशन डेवलप्मेंट होस्टिंग हेतु (एसडीसी) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (कनेक्टिविटी हेतु स्थान), राज्य पोर्टल, राज्य सेवा विवरण गेटवे (राज्य में एकीकृत सेवा हेतु) मेघराज (मांग आधारित अवसंरचना के लिए भारत सरकार का क्लाउड) और आम सेवा केन्द्र की स्थापना हुई है। ई-क्रांति (पूर्व में ई-गवर्नेंस प्लान) के अंतर्गत वर्ष 2011 में एमएमपी को बढ़ाकर 31 कर दिया गया था और उसके पश्चात वर्ष 2015 में इसे बढ़ाकर 44 कर दिया गया था। मिशन मोड परियोजनाएं आरंभ करने से और एनईजीपी के अंतर्गत ई-गवर्नेंस संबंधी पहल से आज की तारीख में 3700 सेवाएं दी जा रही हैं। पासपोर्ट, आयकर, सड़क और परिवहन, भारतीय रेलवे टिकटिंग, एमसीए 21 आदि ने आईसीटी की परिवर्तनीय क्षमता को दर्शाया है और सेवा प्रदान करने की स्थिति में काफी सुधार किया है। ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना और आम सेवा केंद्रों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में आम नागरिकों को अनेक मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं।

आम सेवा केंद्र विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी-एसपीवी)

38. आम सेवा केंद्र विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी-एसपीवी) को योजना के भाग के रूप में देश भर में सीएससी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्थापित किया गया था। सीएससी इको-सिस्टम के कामकाज को मजबूत करने के लिए योजना अनुमोदन के अनुसार, सीएससी-एसपीवी पंजीकृत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्वतंत्र कंपनी के रूप में थी और इसे 16 जुलाई 2009 को शामिल किया गया था, जिसमें एमईआईटीवाई सीएससी एसपीवी में गोल्डन शेयर और बोर्ड में प्रशासनिक नियंत्रण के दो निदेशक आवश्यक थे। सचिव, एमईआईटीवाई कंपनी के पदेन अध्यक्ष हैं। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सीएससी योजना के कार्यान्वयन में एमईआईटीवाई की सहायता और समर्थन करती है और नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के वितरण में सक्षम बनाती है। निदेशक बोर्ड और सीएससीई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सूची अनुबंध 2 और 3 में दी गई है।

39. यह पूछे जाने पर कि क्या सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और इसके निदेशक बोर्ड की संरचना क्या है। इस बारे में मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार के पास वीटो पावर के साथ आवश्यक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ बोर्ड पर दो निदेशक हैं। सचिव, एमईआईटीवाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल के अनुसार, कंपनी के पदेन अध्यक्ष हैं । इस प्रकार, शेयरहोल्डिंग और नियंत्रण के आधार पर- यह एमईआईटीवाई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। निदेशकों की सूची (अनुबंध-2) संलग्न है ।

40. धारा 8 कंपनी और कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के बीच अंतर के बारे में तथा यह पूछने पर कि क्या सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड धारा 8 कंपनी है अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है, इस पर मंत्रालय ने बताया कि 8 कंपनी खेल, वाणिज्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान आदि के संवर्धन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी लाभ के लिए नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की किसी अन्य धारा के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां वे कंपनियां हैं जिन्हें '' लाभ के लिए नहीं '' से अलग प्रयोजन के लिए समामेलित किया जाता है।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है।

.....

1 पुराने कंपनी अधिनियम 1956 में लाभ कंपनियों के लिए नहीं धारा 25 में परिभाषित किया गया था।

41. यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी अधिनियम 1956 में 'गोल्डन शेयर' के आयोजन की अनुमति देने का कोई प्रावधान है, मंत्रालय ने कहा कि कंपनी अधिनियम के अनुसार, शेयरों को विभेदी अधिकारों के साथ जारी किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत सरकार को विभिन्न प्रशासनिक अधिकारों और वीटो पावर के साथ 'गोल्डन शेयर' जारी किया जाता है।

42. जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या भारत सरकार द्वारा किसी निजी कंपनी में गोल्डन शेयर के माध्यम से वीटो शक्ति रखने का कोई अन्य पूर्व उदाहरण है, तो समिति को निम्नवत बताया गया था -

> " सीएससी योजना के भीतर समग्र अनुमोदन के अनुसार, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देश भर में सीएससी योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत सरकार से नागरिक (जी2सी) और बिजनेस टू सिटीजन (बी2सी) टू रूरल इंडिया सेवाएं प्रदान करने के कार्य की निगरानी के लिए वीटो पावर के साथ शामिल किया गया था । यह व्यवस्था ग्रामीण नागरिकों को अंतिम छोर तक सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित कर रही है और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके, आम आदमी को अपने इलाके में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आम सेवा वितरण(कॉमन सर्विस डिलीवरी) आउटलेट के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए है।"

43. यह पूछे जाने पर कि क्या निजी संस्थाओं को भारत में ' gov.in ' डोमेन नाम का उपयोग करने की अनुमति है, तो मंत्रालय ने कहा कि किसी भी ऐसी योजना,जो विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के लिए ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, को बढ़ावा देने के लिए मुख्य फ्लैगशिप स्कीम /कार्यक्रम और परियोजनाओं की सुविधा प्रदान की जा सकती है यह व्यवस्था ग्रामीण नागरिकों को अंतिम छोर तक सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगी और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके, आम आदमी को अपने इलाके में विशेष रूप से

ग्रामीण क्षेत्रों में, आम सेवा वितरण(कॉमन सर्विस डिलीवरी)आउटलेट के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करेगी। सीएससी योजना के उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने और पूरे भारत में सीएससी योजना को समान रूप से सफलतापूर्वक लागू करने में सीएससी एसपीवी को सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय ने सीएससी एसपीवी को इस योजना को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुसार भारत सरकार के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम बनाया है ।

44. सामान्य सेवा केंद्र विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी-एसपीवी) के शासन ढांचे और कामकाज पर, सचिव , इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत कहा :

> "इसकी संरचना थोड़ी असामान्य है। इसमें सरकारी संस्थाओं से 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है, लेकिन उनमें से कुछ संस्थाएं बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अन्य संस्थाएं हैं। निजी क्षेत्र की भी इसमें हिस्सेदारी है। इसलिए, यह हमारी वैज्ञानिक सोसाइटियों में से एक नहीं है।.....xxx इसे मंत्रिमंडल की अनुमति मिलने के बाद इसे एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। उसमें एक असामान्य बात यह है कि सरकार के पास एक गोल्डन शेयर है, जिसका अर्थ है कि सरकार को बोर्ड द्वारा लिए गए कुछ प्रकार के निर्णयों को वीटो करने का अधिकार है ।....xxx... ऐसी कोई अन्य कम्पनी नहीं है ।सरकार में ऐसा कोई साधन नहीं है जो एक ही बार में इतना ट्रैक्शन दे सकता हो ....xxx... हम विहित की गई सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते l"

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा</u>

45. सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर आधार पर कई पहलें कर रही है ताकि उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और शुद्ध शून्य आयात प्राप्त करने का लक्ष्य आशय का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 (एनपीई 2019) पर राष्ट्रीय नीति में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थान देने की परिकल्पना की गई है, जिसमें चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और बल प्रदान किया जा रहा है।

46. 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण योजना को बढ़ावा देने के लिए आवंटन निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्त्विक व्यय
2019-20	1600.00	986.00	690.00	655.08
2020-21	1545.00	980.00	700.00	245.97 (31.01.2021को)
2021-22	4200.00	2631.32		

47. 2020-21 में बजट अनुमान 980 करोड़ रुपये था जिसे आरई चरण में घटाकर 700 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2021-22 में बजट अनुमान 2631.32 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान का 2.69 गुना है।

48. वर्ष 2020-21 के लिय वास्तविक व्यय के बारे में और बजट अनुमान स्तर पर 980 करोड़ रुपये से घटाकर 2020-21 में आरई स्तर पर 700 करोड़ रु किये जाने के कारण पूछे जाने पर समिति को बताया गया कि दिनांक 05.02.2021 को इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना में 262.24 करोड़ रुपये जारी करने के लिए वित्तीय मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं। योजना के बजट का एक बड़ा हिस्सा (51%) पूंजीगत व्यय के लिए छूट देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए आबंटित किया गया था-विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25% । महामारी के कारण, कुछ समय तक कंपनियां लॉकडाउन में रहीं जिससे उनके निवेश में देरी हुई और उनके संचालन पर असर पड़ा। इसके अलावा, महामारी के कारण गतिविधियों में व्यवधान के परिणामस्वरूप, कंपनियों को 31.01.2021 तक अपने बही खातों को अंतिम रूप देने और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न जमा करने का समय दिया गया था । इस प्रकार, उन्होंने सत्यापन और लेखा परीक्षा के बाद निवेश के दावों की व्याख्या करने की प्रक्रिया नहीं बताई थी। इससे कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए अपने दावे दायर करने में काफी देरी हुई है। इस प्रकार,

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना के संबंध में आरई चरण में बजटीय प्रावधान 980 करोड़ रुपये से घटाकर 700 करोड़ रुपये कर दिया गया।

49. यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2021-22 के लिए बढे हुए आवंटन का किस प्रकार उपयोग किये जाने की सम्भावना है मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा योजना के अलावा, बढ़े हुए आबंटन का उपयोग इस वर्ष शुरू की गई नई योजनाओं के लिए किया जाएगा। ऐसी योजनाओं के तहत प्रोत्साहन के दावे और अन्य संवितरण अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 से किए जाने की आवश्यकता होगी। इस तरह की योजनाओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

(एक) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों के विनिर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन देगी।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्द्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना(एसपीईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चिह्नित सूची जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन, यानी इलेक्ट्रॉनिक संघटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, एटीएमपी इकाइयां, विशेषीकृत उप-असेंबली और उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं, के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

(तीन) **संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (एएमसी 2.0) योजना** सामान्य सुविधाओं और प्रसुविधाओं के साथ-साथ विश्वस्तरीय अवसंरचना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करेगी, जिसमें देश में इकाइयों की स्थापना के लिए अपनी आपूर्ति शृंखला के साथ साथ प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाएं शामिल हैँ । यह योजना पूरे देश में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 में योजना के लिए 2631.32 करोड़ रुपये के पूर्ण बजटीय आबंटन का उपयोग करने के लिए आशान्वित है।

50. भारत में पिछले वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की वार्षिक मांग और आयात के माध्यम से पूरी की जाने वाली मांगों का प्रतिशत और घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरी होने वाली आय का प्रतिशत निम्नवत है:

वर्ष	भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की वार्षिक मांग (करोड़ रु में)	आयात के माध्यम से पूरी की जाने वाली मांगों का प्रतिशत (%)	घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरी होने वाली आय का प्रतिशत (%)
2016-17	5,10,258	45.6%	54.4%
2017-18	6,21,797	44.2%	55.8%
2018-19	6,95,207	43.0%	57.0%
2019-20	7,30,520	38.3%	61.7%
2020-21 (अनुमानित)	7,75,000	38%	62%

*आयात में तैयार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल हैं

** घरेलू उत्पादन के आंकड़ों में निर्यात शामिल नहीं है

51. भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाओं के संबंध में समिति को निम्नानुसार बताया गया :

"(एक) **अंतर्राष्ट्रीय समझौते और शून्य शुल्क व्यवस्था:** विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 (आईटीए-1) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने 217 टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क व्यवस्था लागू की है । इसके अलावा, विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) के तहत रियायती दरों पर इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के आयात की अनुमति है।

(दो) **घरेलू विनिर्माण में असक्षमता लागत**: भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में कुछ असक्षमताओं का सामना करना पड़ता है जो घरेलू विनिर्माण को गैर-प्रतिस्पर्धी बना देती है। तीन महत्वपूर्ण कारक जिनका इसमें योगदान है, वे हैं बुनियादी अवसंरचना की स्थिति, बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता और वित्त की लागत ।

(तीन) **प्रौद्योगिकी की विविधता और वेग में परिवर्तन**: इलेक्ट्रॉनिकी का क्षेत्र व्यापक है और सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों,एप्लिकेशनों, उपकरणों और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच अभिसरण से भी निरंतर रूप से प्रौद्योगिकी परिवर्तन होता रहता है। साथ ही प्रौद्योगिकियों की हाफ-लाइफ निरंतर रूप से कम हो रही है और कुछ वर्टिकलों में इसके छह महीने से भी कम होने का अनुमान है।"

52. जब भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव और आकस्मिक कोविड-19 स्थिति के कारण इस क्षेत्र के समक्ष निकट भविष्य में खतरों और अवसरों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

वर्ष 2020 की आरंभिक अवधि में वायरस का प्रकोप काफी हद तक एक देश पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिकी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के रूप में प्रकट हुआ। उद्योग के अनुमान के मुताबिक जनवरी और फरवरी के महीने में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं के माल का 40% ह्रास तक हुआ, जिससे उत्पादन में कमी आई। मार्च के अंत में महामारी की गंभीरता बढ़ने के साथ, अन्य देशों से ऐसे घटकों के आयात के स्रोतों का पता लगाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा था। उद्योग संघों को सलाह दी गई कि वे इस तरह के अवसरों का पता लगाने के लिए क्रेता-विक्रेता की बैठक आयोजित करें।

ईएसडीएम उद्योग के साथ एमईआईटीवाई लगातार संपर्क में था और भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव को समझने और भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उचित उपाय करने के लिए फीडबैक लिए जा रहे थे। इस समझ के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र में महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए लघु से मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपाय किए गए ।

छोटे और मध्यम अवधि के उपायों के रूप में, एक ही बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए एक ही समय में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हुए भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात के स्रोतों को व्यापक आधार देने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया गया है ।

दीर्घ अवधि के लिए किए गए उपायों के रूप में, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी आपूर्ति श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में, यह बताया गया है कि एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य शृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और घरेलू मूल्य वर्धन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए तीन नई योजनाओं को अधिसूचित किया है यानि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्द्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना(एसपीईसीएस),संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर(ईएमसी 2.0) योजना ।

इसके अलावा, भारतीय दूतावासों, उद्योग संघों और स्थानीय उद्योगों के साथ समन्वय में वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों का भी पता लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों को भी प्रेरित किया जा रहा है।

अपने सभी प्रतिकूल प्रभावों के साथ इस महामारी ने सभी विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं को यह अहसास कराया है कि वैश्विक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला(ईएसडीएम

सहित)एक ही देश पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इस अहसास का लाभ उठाने और भारत को आत्मनिर्भर और स्वनिर्भर बनाने और विविधीकरण की वैश्विक भावना का उपयोग करने और भारत को पूरी दुनिया के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए यह सही समय है।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआइपीएस)

53. खामियों की भरपाई और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जुलाई, 2012 में संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआइपीएस) की घोषणा की गई थी। इस योजना में दो बार संशोधन किया गया है- अगस्त, 2015 में और जनवरी, 2017 में। यह योजना मुख्य रूप से 20-25% की कैपेक्स सब्सिडी प्रदान करती है। इस नीति में निवेश आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी मूल्यांकन समिति का प्रावधान है । मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। नए आवेदन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर, 2018 को इस योजना को बंद कर दिया गया है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

•विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए पूंजी सब्सिडी-20% और गैर-एसईजेड में 25% प्रदान करती है ।

. नई इकाइयों और विस्तार इकाइयों दोनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

• आवेदन के अनुमोदन की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

• मूल्य श्रृंखला (असेंबली, परीक्षण, पैकेजिंग और सहायक उपकरण, चिप्स, घटकों सहित कच्चे माल) में 44 श्रेणियों/वर्टिकल के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

• प्रत्येक उत्पाद श्रेणी/वर्टिकल के लिए न्यूनतम निवेश सीमा (सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये से सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट के लिए 5,000 करोड़ रुपये) तक।

• इकाई, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में बनेगी।

54. एम-सिप के तहत **2012-13** से प्राप्त हुए, स्वीकृत कुल आवेदन और वितरित प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:

प्राप्त हुए कुल आवेदन*			**कुल स्वीकृत आवेदन**			**वितरित प्रोत्साहन**	
वित्त वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	सभी चरणों का प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	सभी चरणों का प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)	प्रतिबद्ध प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपए)	पात्र इकाइयों की संख्या जिनके लिए एम-सिप के तहत प्रोत्साहन जारी किए गए / वितरित किए गए	दिए गए प्रोत्साहन (करोड़ रु)

						**	
2012-13	5	1066	-	-	-	-	-
2013-14	15	4053	8	1129	298	-	-
2014-15	26	5835	25	6084	481	2	12.04
2015-16	79	18582	35	9570	843	3	4.78
2016-17	55	8992	26	3143	292	3	16.13
2017-18	37	11984	60	11447	1378	15	135.89
2018-19	117	46822	43	20049	1961	53	318.67
2019-20	-	-	63	21568	2009	33	463.67
2020-21	-	-	35	8135	1331	26	120.84

कुल	**334**	**97333**	**295**	**81126**	**8593**	**135**	**1072.03**

* यह डेटा आवेदन से संबंधित है, जो योजना के तहत विचाराधीन हैं (यानि अपूर्ण दस्तावेजों/पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण बंद किए गए आवेदनों को छोड़कर)।

** ये संवितरण दावे *85* एमएसआईपीएस आवेदकों के लिए संवितरित हैं।

55. मंत्रालय ने बताया है कि एमएसआईपीएस योजना के तहत 26 दावा आवेदनों के एवज में अब तक 120.81 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। आईएफसीआई लिमिटेड (सत्यापन एजेंसी) द्वारा 20 दावों के एवज में 105 करोड़ रुपये के प्रोत्साहनों की सिफारिश की गई है। इन दावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, 90 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वाले दावे आईएफसीआई लिमिटेड के साथ सत्यापन के अग्रिम चरण में हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक 315 करोड़ रुपये का खर्च हासिल होने की संभावना है। मुख्य रूप से महामारी के कारण व्यवधान के कारण इस वर्ष व्यय कम हुआ है । इससे उनके निवेश में देरी हुई और उनका संचालन प्रभावित हुआ। इसके अलावा, महामारी के कारण गतिविधियों में इस तरह के व्यवधान के परिणामस्वरूप, कंपनियों को अपने खातों को अंतिम रूप देने और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए 31-01.2021 तक का समय दिया गया था। इस प्रकार, सत्यापन और लेखा परीक्षा के बाद निवेश के दावों को तरजीह देने की प्रक्रिया को उनके द्वारा स्थगित रखा गया था । इस वजह से कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए अपना दावा दायर करने में काफी देरी हुई है। लॉकडाउन

अवधि के बाद, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है और इस वित्तीय वर्ष के शेष हिस्से में वितरण में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि अधिक कंपनियां संवितरण के लिए अपना दावा दायर करती हैं। इस तरह के दावे दाखिल करने में कंपनियों की सहायता के लिए पाक्षिक आधार पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एमएसआईपीएस के तहत लक्ष्य 700 करोड़ रुपये है।

साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)

56. इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, हादसा-पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा,घटना-पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा विशिष्ट आर एंड डी, कानूनी फ्रेमवर्क को सक्षम करना और सहयोग जैसी कई पहलों का पालन करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना है । 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान साइबर सुरक्षा परियोजनाओं (एनसीसीसी और अन्य) योजना के आवंटन का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	**बीई**	**आरई**	**एई**
2019-20	120.00	102.00	92.07
2020-21	170.00 है	80.00	24.07 (01.02.2021 तक)
2021-22	200.00		

57. जब 2020-21 के दौरान आवंटन में बीई चरण में 170.00 करोड़ रुपये से आरई चरण में 80.00 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय गिरावट के कारणों के बारे में और 2021-22 के लिए बढ़े हुए आवंटन का उपयोग कहाँ किए जाने की संभावना है , के बारे में पूछा गया तो, मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन स्थिति के कारण एनसीसीसी परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों के दौरान निधियों का कम उपयोग हुआ। इसके परिणामस्वरूप आरई चरण में आवंटन में 170.00 करोड़ रुपये से 80.00 करोड़ रुपये की कमी आई। अगले वर्ष में बजट की आवश्यकता मुख्य रूप से पूंजीगत आईटी बुनियादी ढांचा मदों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद और डेटा सेंटर सह-स्थान सेवाओं सहित स्थान आवश्यकता पर होगी।

58. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) का ब्यौरा, उसकी स्थापना की वर्तमान स्थिति तथा उसके पूरी तरह से चालू होने में लगने वाले समय के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा खतरों के लगभग वास्तविक समय आधार पर मैक्रोस्कोपिक विचारों को उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है। यह केंद्र देश में साइबर स्पेस को मेटाडेटा स्तर पर स्कैन करता है और वास्तविक समय आधारित स्थितिजन्य जागरूकता उत्पन्न करता है। एनसीसीसी एक बहु हितधारक निकाय है और इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कंप्यूटर दल (सर्ट-इन) द्वारा किया जा रहा है। केंद्र एक संरचित प्रणाली प्रदान करता है और साइबर सुरक्षा

संबंधी खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने हेतु साइबर स्पेस से उनके साथ मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

एनसीसीसी के गठन की परियोजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए 770 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है और इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था।

पहले चरण में, खतरे और परिस्थितिजन्य जागरूकता (एनसीसीसी टेस्ट बेड) पर परियोजना को लागू किया गया है

जुलाई 2017 में एनसीसीसी के चरण -1 का संचालन किया गया है। इस चरण में आईएसपी और संगठनों के 20 साइटों के मेटाडेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अतिरिक्त 15 दूरस्थ साइटों को अगस्त, 2021 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2016 में कुल 65 पद (60 एस एंड टी और 5 गैर- एस एंड टी) स्वीकृत किए गए जिसमें से 57 पद भरे गए हैं (54 एस एंड टी और 3 गैर-एस एंड टी), शेष पदों के लिए भर्ती अभी चल रही है। एनसीसीसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार शेष 59 पदों (एस एंड टी और गैर-एस एंड टी) के सृजन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास विचाराधीन है।

यदि अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है तो पूर्ण विकसित एनसीसीसी एक वर्ष की अवधि के भीतर लागू किया जाएगा।"

<u>डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन</u>

59. 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटन का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में**)**

वित्त वर्ष	प्रस्तावित	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
2019-20	860.00	600.00	480.00	511.53
2020-21	320.00	220.00	300.00	188.96 (31.01.2021 तक)
2021-22	300.00	1500.00		

60. योजना के लिए आवंटन में वर्ष 2020-21 के आरई स्टेज में 300 करोड़ रुपए से वर्ष 2021-22 के बीई स्टेज पर 1500 करोड़ रुपयों की पाँच गुना वृद्धि हुई है। इस योजना के लिए आवंटन में पांच गुना वृद्धि के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तावित राशि के विषय में मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह मिशन भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक रहा है। पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल भुगतान लेनदेन लगातार बढ़ रहा है। वित वर्ष 2017-18 में कुल लेनदेन की मात्रा 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 4,572 करोड़ हो गई है। जनवरी 2021 तक इस वित्त वर्ष में करीब 3,950 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हासिल किए गए हैं।

61. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भीम-यूपीआई सबसे पसंदीदा भुगतान मोड प्रतीत होता है। भीम-यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन-देन की संख्या 4.31 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ जनवरी 2021 में 230 करोड़ के पार हो गई और आने वाले वर्षों में लेनदेन में कई गुना बढ़ोत्तरी होगी । `बैंकों को अधिक मात्रा के डिजिटल लेनदेन को संभालने के लिए

अवसंरचना को उन्नत करने और एक स्थायी डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव और विस्तार के लिए व्यापारी / ग्राहक ऑनबोर्डिंग, जागरूकता, संरक्षण और स्वीकृत अवसंरचना में महत्वपूर्ण रूप से निवेश करने की आवश्यकता है।

62. सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई और रूपे कार्ड के लेनदेनों पर एमडीआर को माफ कर दिया है, जिसके कारण बैंकों और फिनटेक द्वारा अवसंरचना के विकास में निवेश कम किया गया है। वे बैंकों और अन्य हितधारकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं ताकि वे व्यापारी स्वीकृति फुटप्रिंट को बढ़ाने और कैश से डिजिटल में तेजी से माइग्रेशन के लिए काम कर सकें विशेष रूप से टियर 3 और उससे कम श्रेणी वाले शहरों के लिए। यद्यपि डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, फिर भी क्षमता बहुत बड़ी है। भारतीय बाजारों में नकदी का दबदबा जारी है। इसलिए, प्रोत्साहन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ अछूते बाजारों / सेगमेंटों / क्षेत्रों को लक्षित करते हुए डिजिटल भुगतान पर जोर देना आवश्यक है। वर्तमान में, मेजर टेक्नोलॉजीज प्लेयर (फिनटेक) डिजिटल भुगतान के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिनटेक सेक्टरों को बढ़ावा देना सरकार का एक और महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र होगा।

63. भारत में बढ़ते फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र, कोविड के कारण ग्राहकों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों और वित्तीय समावेशन संबंधी सरकार की नीतियों के कारण डिजिटल भुगतान में वर्ष 2025 तक कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। आने वाला दशक डिजिटल भुगतान के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव का गवाह होगा और भारत के नागरिकों को एक ई-भुगतान अनुभव के साथ सशक्त भी करेगा जो अतिरिक्त रूप से सुरक्षित, सरंक्षित और सही अर्थों में विश्वस्तरीय होगा।

64. यह पूछे जाने पर कि योजना के तहत की गई गतिविधियों का विवरण क्या है तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 के दौरान क्या विशिष्ट उपाय किए गए थे,

मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट में सरकार ने 2,500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन की स्थापना की घोषणा की। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जून 2017 में एमईआईटीवाई में डिजिधन मिशन की स्थापना की गई थी।

65. यह मिशन भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक रहा है। पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल भुगतान लेनदेन लगातार बढ़ रहा है। वित वर्ष 2017-18 में कुल लेनदेन की मात्रा 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 4,572 करोड़ हो गई है। डिजिधन मिशन का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में 5,500 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का लक्ष्य हासिल करना है। 13 फरवरी 2021 तक, लगभग 4,306 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन किए गए हैं।

66. मिशन देश भर में विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड को सक्षम करने और भुगतान स्वीकृति अवसंरचना को मजबूत करने के लिए बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं (पीएसपी), मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मिशन के तहत तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है:

i. देश भर में नागरिकों द्वारा सहज डिजिटल भुगतान और डिजिटल भुगतानों को व्यापक रूप से अपनाने में सक्षम करने के लिए सुविधाजनक डिजिटल भुगतान मोड और डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना का विकास
ii. डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए व्यापारियों और नागरिकों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान
iii. प्रचार अभियान, प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना

67. मिशन ने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों तथा मंत्रालयों / विभागों / राज्यों के साथ समन्वय, बीबीपीएस पर बिलर्स का ऑन-बोर्डिंग, एनसीएमसी ईकोसिस्टम को सक्षम करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक योजनाएं, भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना, भीम-यूपीआई व्यापारी ऑन-बोर्डिंग योजना तथा एमडीआर प्रतिपूर्ति योजना जैसी अनेक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। इन पहलों के साथ ही डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड, विश्व स्तर पर स्वदेशी भुगतान समाधान भीम-यूपीआई और रूपे को बढ़ावा देन तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाए गए हैं।

68. डिजिटल भुगतान के लिए सुरक्षा उपायों के संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि जहां ग्राहक भुगतान के गैर-नकद साधनों की तरफ तेजी से बढ़ रहें हैं, वहीं डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। बढ़ी हुई दक्षता, सुरक्षित, सुलभ और किफायती भुगतान प्रणालियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

i. आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल भुगतान लेनदेन के साथ-साथ ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपायों से संबंधित विभिन्न परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ii. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) नवीनतम साइबर खतरों और प्रतिउपायों के बारे में नियमित आधार पर अलर्ट और सलाह जारी करता है। सर्ट-इन की छत्र-छाया में एक नोडल सेक्टोरल सी सर्ट-वित्त (कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम-फाइनेंस) की स्थापना की गई है और यह 15

मई 2020 के बाद से परिचालन में है, जो सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ निकट समन्वय में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।

69. मंत्रालय ने आगे बताया कि डिजिटल भुगतान में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। एमईआईटीवाई ने डिजिटल भुगतान शिकायतों को उपभोक्ता मामले मंत्रालय (एमओसीए) के साथ एकीकृत किया है जिससे उसका उपयोग उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) प्लेटफॉर्म के साथ किया जा सके। सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय सेवा संस्थान एनसीएच प्लेटफार्म पर ऑन बोर्ड हैं। प्लेटफ़ॉर्म लाइव है और डिजिटल भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त कर रहा है।

70. जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या ऑनलाइन डिजिटल भुगतान और डाटा की सुरक्षा से संबंधित साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए कोई केंद्रीकृत हेल्पलाइन है, मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in का संचालन हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ एमएचए द्वारा किया जाता है। यह पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जो पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑफलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।

71. इस पोर्टल पर रेप/गैंग रेप (सीपी/आरजीआर) सामग्री जैसे ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (सीएसएएम) या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रमुख विषयों के साथ साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी, रैंसमवेयर अपराधों से संबंधित शिकायतें भी की जाती है। अन्य साइबर अपराधों में मोबाइल अपराध, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध, हैकिंग और ऑफ़लाइन साइबर तस्करी हैं।

72. इसके अलावा, एमईआईटीवाई ने संबंधित बैंकों और एनपीसीआई के डिजिटल भुगतानों की मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली के अलावा, उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल भुगतान शिकायतों को एकीकृत किया है। प्लेटफ़ॉर्म लाइव है और डिजिटल भुगतान संबंधी शिकायतों को हैंडल कर रहा है।

<u>कोविड संबंधित पहल: को-विन एप</u>

73. को-विन एप कोविड-19 से संबंधित एक प्रमुख पहल है जिसके माध्यम से लाखों लोगों को प्रतिदिन कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, समिति ने कोविड-19 वैक्सीन कोल्ड चेन को लक्षित करते हुए हाल ही में सूचित वैश्विक फिशिंग अभियान के लिए को-विन एप और मंत्रालय की टिप्पणियों का ब्यौरा जानना चाहा। इस पर, मंत्रालय ने बताया कि को-विन पोर्टल और एप्लीकेशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है। मंत्रालय की आवश्यकतानुसार एनआईसी द्वारा केवल तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे।

74. मंत्रालय की को-विन पहल के बारे में, सचिव, एमईआईटीवाई ने साक्ष्यों के दौरान निम्नवत बताया:-

> "..... कोविन एप के बारे में, श्री आर. एस. शर्मा की अध्यक्षता में अब एक समिति है जो एनआईसी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन आदि द्वारा एमईआईटीवाई संगठन द्वारा प्रदान की गई अत्यधिक सहायता के साथ चल रही है, जिसने को-विन एप को सुदृढ़ करने में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मदद की है।
>
> मुझे लगता है कि यह इस समय काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगले दौर में, जहां टीकाकरण आम आबादी को कवर करना शुरू कर देगा, पहले यह स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य अग्रिम कर्मियों को कवर करना शुरू कर देगा और फिर यह आम आबादी को कवर करना शुरू कर देगा। इसके लिए हमने आरोग्य सेतु तैयार किया है जिसे अब तक 16.92 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया है। हमने आरोग्य सेतु पर ही नागरिकों के लिए एक फ्रंटएंड भी तैयार किया है। इसलिए आरोग्य सेतु पर टीकाकरण, जो पहले से ही चल रही है की जानकारी और प्रगति उपलब्ध होगी। जल्द ही, हम आरोग्य सेतु पर सेवाएं शुरू करेंगे ताकि 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को स्वयं को पंजीकृत करने में मदद मिल सके। जब यह शुरू हो जाएगा तो व्यक्ति भी स्वास्थ्य आईडी उत्पन्न करने के लिए खुद को पंजीकृत करने और टीकाकरण हेतु निर्धारित सत्र प्राप्त करने के लिए आरोग्य सेतु का उपयोग करने में सक्षम होंगे। को-विन एप बैकएंड एप्लिकेशन के रूप में भी काम करेगा, जो उस स्थान पर सत्र के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए है, जहां टीकाकरण हो रहा है जबकि आरोग्य सेतु एप फ्रंटएंड सिटिजन-फेसिंग एप्पलीकेशन के रूप में काम करेगा। हमने कोल्ड चेन फिशिंग अटैक पर ध्यान दिया है। भारत की कुछ प्रमुख दवा कंपनियों पर भी कुछ हमले हुए थे। सीईआरटी-

इन इसका पता लगाने; उन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने; और इसके साथ-साथ संबंधित संगठनों को अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने में भी मदद करने में सबसे आगे रहा है.....।"

यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)

75. उमंग को प्रमुख सरकारी सेवाओं की प्रदायगी के लिए एकल मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 23 नवंबर, 2017 को उमंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। उमंग को प्रमुख सरकारी सेवाओं की प्रदायगी के लिए डिजीलॉकर, पे-जीओवी, रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) आदि के साथ एकीकृत कोर प्लेटफॉर्म के साथ एकल मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित किया गया है।

• उमंग अंग्रेजी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और क्लाउड पर होस्ट किया गया है। उमंग का उद्देश्य नागरिकों को फिंगर टिप्स पर पंहुच प्रदान करना है।

• 31 अक्तूबर, 2020 तक, उमंग के पास केंद्र सरकार के 189 विभागों और 27 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के सरकारी विभागों से लगभग 2039 सेवाएं हैं (860 - केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं; 1179 -बिल भुगतान सेवाएं) तथा कई सेवाएं लगातार ऑन-बोर्ड किए जा रहे हैं।

• नया उमंग एंड्रॉयड एप एक नया यूआई/यूएक्स के साथ लॉन्च किया गया था जो अधिक वैयक्तिक और सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है।

• उमंग इंटरनेशनल एप भी बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा जो अन्य देशों से सरकारी सेवाओं की पहुंच की अनुमति देगा।

76. उमंग एप की उपलब्धि और कार्य-प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि परियोजना के लॉन्च के बाद से एप के विभिन्न प्रमुख बिंदुओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

समय-सीमा	वर्ष	जोड़ी गई सेवाओं की संख्या	पंजीकृत सेवाओं की संख्या (करोड़)	लेन-देन की संख्या (करोड़)
लॉंच	नवंबर 2017	163	0.18	2.64

प्रथम वर्ष	नवंबर 2018	161	0.73	24.02
द्वितीय वर्ष	नवंबर 2019	236	0.76	44.55
तृतीय वर्ष	नवंबर 2020	1525	0.81	50.49

- उमंग एप के अपडेट किए गए वर्जन को डिजिटल इंडिया दिवस, 1 जुलाई, 2020 को माननीय मंत्री जी द्वारा लॉंच किया गया था।
- उमंग एप विकसित होने के बाद से केन्द्रीय और राज्य सरकारी विभागों की 1,051 सेवाएँ और 19,474 बिल भुगतान सेवाएँ देने में सक्षम हुआ है।
- 20000 से 25000 की दैनिक वृद्धि के साथ उमंग एप पर प्रयोक्ता पंजीकरण की संख्या ~2.61 करोड़ तक पहुँच गई है। अब तक हुए लेन-देन की संख्या ~132 करोड़ है।
- **उमंग का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन** 23 नवंबर 2020 को लॉंच किया गया था। इससे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्र, एनआरआई और विदेश में भारतीय यात्री किसी भी समय भारत सरकार की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उमंग पर उपलब्ध **'**भारतीय संस्कृति**'** सेवाओं के माध्यम से भारत का विदेश में नाम होगा और यह विदेशी यात्रियों के मन में भारत की यात्रा करने की इच्छा पैदा करेगा।
- उमंग एप की सेवाओं को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से असिस्टिड मोड में उपलब्ध कराया गया था। उमंग की लगभग 480 चयनित सेवाएँ नागरिकों के लिए 3.75 लाख सीएससी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
- भारतीय निवासियों तक अधिक से अधिक पहुँच बनाने के लिए उमंग की लगभग 150 उपयुक्त सेवाओं को **काई-ओएस ओपरेटिंग सिस्टम (जियो फोन्स)** पर चलने वाले फीचर फोन्स के लिए सक्षम बनाया गया है। इससे जियो फोन्स चलाने वाले प्रयोक्ता भी उमंग पर एकीकृत विभागों की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
- जनवरी, 21 तक **145,000+** प्रयोक्ताओं की समीक्षा के साथ इसे प्लेस्टोर पर औसतन **4.3** की प्रयोक्ता रेटिंग प्राप्त हुई है।
- विभिन्न विभागीय सेवाओं (कॉल/चैट्स/ईमेल से प्राप्त प्रश्न) के संबंध में उमंग कॉल सेंटर रोजाना **1500 प्रयोक्ताओं के प्रश्नों** (13 भाषाओं में) का समाधान/निपटान करता है।
- अप्रैल 2020 से उमंग पर लगभग **140 डीबीटी** (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) **योजनाओं** को भी लाइव किया गया है।

इसके अलावा, कुछ विभाग केवल एंड्रोयड पर उपलब्ध थे; उमंग ने उन्हें आईओएस और काई-ओएस पर भी उपलब्ध कराया है।

77. अनुदानों की मांगों (2019-20) की जांच के दौरान, समिति ने सिफारिश की थी कि उमंग एप की कम प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाने के लिए आकलन और मूल्यांकन सर्वेक्षण/प्रयोक्ता अध्ययन किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, समिति ने यह जानना चाहा कि क्या उमंग एप के कम उपयोग/विस्तार के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या प्रयोक्ता सर्वेक्षण किया गया है। इस पर, मंत्रालय ने बताया कि आईआईएम लखनऊ के प्रो. सत्य भूषण दास द्वारा उमंग एप के निम्नलिखित पहलुओं पर एक लघु प्रयोक्ता और एकीकृत विभाग अध्ययन किया गया था-

क. प्रयोक्ताओं की बीच एप के वर्तमान और संभावित उपयोग को समझने के लिए।

ख. प्रयोक्ताओं और गैर-प्रयोक्ताओं के बीच ईपीएफओ एप्लिकेशन (उमंग की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली सेवाओं में से एक) की जागरूकता और समझ के स्तर को समझने के लिए।

ग. एप को अपनाने में प्रयोक्ताओं को आने वाली दिक्कतों और सुविधाओं तथा उपयोग को समझने के लिए।

78. इसके अलावा, आउटपुट और परिणामों, कमी का आकलन, चुनौतियों, सुधारों और आगे बढ़ने के तरीकों के मामले में सृजित लाभों के विवरण के साथ उमंग परियोजना के समग्र प्रभाव मूल्यांकन का विश्लेषण करने के लिए एक आरएफपी जारी किया गया था:

क. व्यक्तियों के लिए और

ख. प्रदाताओं के लिए (विभाग/मंत्रालय)

वर्तमान में 4 निविदा प्राप्त हुई हैं और मूल्यांकित की जा रही हैं।

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

बजट विश्लेषण - पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता

1. समिति नोट करती है कि 13,886.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 9720.66 करोड़ रुपये का है जो मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि से 30 प्रतिशत कम है। 9720.66 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में राजस्व खंड के अंतर्गत 9274.66 करोड़ रुपये और पूंजी खंड के अंतर्गत 446.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। पिछले वर्ष 11,023.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन के सापेक्ष 6899.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ, जो 37.41 प्रतिशत कम है। तथापि, प्रस्तावित राशि में लगभग 30 प्रतिशत की कमी के बावजूद वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के वास्तविक आवंटन में 40.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष अर्थात 2020-21 की तुलना में ब.अ. (2021-22) में पर्याप्त वृद्धि के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन में ब.अ. 2020-21 की तुलना में 40.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसकी कुल राशि **2821** करोड रुपए की है। यह बढ़ा हुआ आवंटन मुख्य रूप से 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन' स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; डिजिटल भुगतान योजना और वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के आलोक में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को बढ़ावा देने के लिए के लिए है। समिति का मानना है कि हालांकि चालू वर्ष के लिए बजटीय आवंटन में सुधार हुआ है फिर भी यह मंत्रालय की उम्मीदों से मेल नहीं खाता है। प्रस्तावित आवंटन और वास्तविक आवंटन में वित्त

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि का अंतर वर्ष-दर-वर्ष जारी है। 2020-21 में इसका आंकड़ा 37.41% का था और इस वर्ष यह 30.00% है। मंत्रालय के व्यापक अधिदेश और विभिन्न आईटी आधारित सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए बजटीय आवंटन में भारी कमी निश्चित रूप से चिंता का कारण है। दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब मंत्रालय की गतिविधियां बढ़ गई हैं, चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय के बजट को उनकी उम्मीद के अनुसार होना चाहिए था। समिति का मानना है कि मंत्रालय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकता के बारे में वित्त मंत्रालय पर दबाव बनाने की आवश्यकता है और प्रस्तावित और वास्तविक राशि में अंतर को यथासंभव कम किया जाना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित किए जाएं ताकि मंत्रालय की नई और जारी दोनों प्रकार की योजनाओं/कार्यक्रमों को धन की कमी के कारण परेशानी न उठानी पड़े।

<u>बजट विश्लेषण - वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अल्प उपयोग</u>

2. समिति नोट करती है कि 2020-21 में बजट आवंटन 6899.03 करोड़ रुपये था जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 5550.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और वास्तविक व्यय 3652.94 करोड़ रुपये (31.01.2021 की स्थिति के अनुसार) का रहा है। प्रतिशत में देखें तो 2020-21 में (सं.अ.के संदर्भ में) उपयोग 65.82% था। बीते कुछ वर्षों के दौरान, जबकि मंत्रालय आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम रहा है, वर्ष 2020-21 में आवंटित निधियों का कम उपयोग देखा गया है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान (31-01-2021 की स्थिति के अनुसार) उपयोग में कमी का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा खर्च पर लगाए प्रतिबंधों को माना जा रहा है जिनमें अन्य बातों के अलावा पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर 2020) के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मासिक व्यय को 2020-21 ब.अ. के 5%

तक प्रतिबंधित करना शामिल था। व्यय पर लगे प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, बजट पूर्व बैठक के बाद वित्त मंत्रालय से तीसरी तिमाही के दौरान 5% से अधिक खर्च करने की छूट प्राप्त हुई तथा सं.अ.स्तर पर की गई 1349.03 करोड़ रुपये की कुल कटौती ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय अनुमानों की समीक्षा करने और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निधियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निधियों को पुन: आवंटित करने के लिए विवश किया, जिसके लिए आगे डेलीगेशन ऑफ फाइनांशियल पॉवर्स रूल्स (डीएफपीआरएस) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से धन के पुनर्विनियोजन की आवश्यकता थी। तदनुसार, अनुदानों 2020-21 के लिए अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के माध्यम से संसद की मंजूरी प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष 487.08 करोड़ रुपये की राशि के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि व्यय में अब बढ़ोतरी हुई है और उन्हें आशा है कि मार्च 2021 के अंत तक सं.अ. स्तर पर किए गए पूरे आवंटन को खर्च कर लिया जाएगा। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि व्यय के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद मंत्रालय को तीसरी तिमाही में प्रतिबंधों और संसाधनों के स्पिल ओवर का सामना करना पड़ा जिसे वह अब कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। समिति वित्त मंत्रालय की शर्तों के कारण मंत्रालय को हुई समस्याओं पर ध्यान देते हुए यह आशा कर रही है कि मंत्रालय आवंटित राशि को पूरी तरह से खर्च करने में सक्षम होगा। समिति की सिफारिश है कि ब.अ. 2021-22 में किए गए आवंटनों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत बढ़े हुए आवंटनों का बेहतर उपयोग किया जाए ताकि वित्त मंत्रालय सं.अ. स्तर पर निधि को कम न करे और दोनों योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

<u>बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) की स्थिति</u>

3. समिति ने नोट किया कि 31 दिसंबर 2020 की स्थिति तक 485.95 करोड़ रुपये की राशि के कुल 170 उपयोग प्रमाण पत्र देय थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि उसने लंबित यूसी की संख्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और लंबित यूसी का निस्तारण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय सफल सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए लंबित यूसी राशि में लगातार कमी का चलन दिखाई दे रहा है। मंत्रालय ने आगे बताया कि 01.04.2020 से 03.02.2021 की अवधि के दौरान 765.02 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है। लंबित यूसी की मात्रा को कम करने के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों का पूरा उपयोग हो, समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रहा है। विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान की उपयोगिता स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर यूसी की स्थिति की भी समीक्षा की जाती है और अनुदान प्राप्त संस्थानों के साथ शून्य लंबित यूसी और खर्च न की गई राशि का न्यूनतम किया जाना लक्ष्य होता है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान 765.02 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्रों के परिसमापन में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि भविष्य में भी यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहें कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं को बाद में मिलने वाले अनुदानों का जारी किया जाना प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो तथा उपयोग प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों के धीरे-धीरे बहुत अधिक बढ़ने से बचा जा सके।

<u>आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

4. समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय द्वारा ब.अ. स्तर पर 1248.89 करोड़ रुपये का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे सं.अ. स्तर पर बढ़ाकर 1260.42 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त सोसाइटीज ने 1934.36 करोड़ रुपये का आईईपीआर लक्ष्य प्राप्त किया था जो सं.अ. स्तर पर निर्धारित लक्ष्य का लगभग 153.47% है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान, ब.अ. स्तर पर निर्धारित 1619.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 1498.07 करोड़ रुपये कर दिया गया था, के सापेक्ष यह उपलब्धि (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार) 793.92 करोड़ रुपये रही है। यह सं.अ. स्तर पर निर्धारित लक्ष्य का लगभग 53% है। जबकि स्वायत्त समितियों द्वारा प्राप्त आईईबीआर वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 153.47% था, वर्ष 2020-21 के लिए, उपलब्धि (31.12.2020 स्थिति के अनुसार) घटकर 53% हो गई है। वर्ष **2020-21** के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का कारण कोविड-19 महामारी को माना गया है। समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास सी-डैक, नाइलिट, एसटीपीआई, ईआरनेट, समीर और सी-मेट जैसे कई उल्लेखनीय स्वायत्त सोसाइटीज हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और संबद्ध आईसीटी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास जैसे अग्रणी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जिनके पास, विशेष तौर पर कोविड-**19** महामारी के कारण जबकि आईसीटी उपकरणों और व्यापार की सततता के लिए उनके प्रयोग की मांग अत्यधिक है, राजस्व सृजन के लिए अपार संभावनाएं हैं। समिति यह मानती है कि कोविड-19 ने अनेक सारी चुनौतियां खड़ी कीं, तथा साथ ही इस महामारी के चलते यह वर्ष आईटी सेवाओं और आईसीटी उपकरणों और संबद्ध प्रौद्योगिकियों की त्वरित तैनाती के साथ नवाचारों के लिए एक बूस्टर वर्ष बना। इन सोसाइटियों और स्वायत्त निकायों के लिए राजस्व सृजन के नए अवसरों का पता लगाने और उन्हें सामने लाने के अवसर

मिले। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान आईईबीआर लक्ष्यों में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति उद्योग और शिक्षा आदि के साथ संभावित संबंधों की खोज करने और उन संभावनाओं की पहचान करने की सिफारिश करती है जिनके माध्यम से इन स्वायत्त समितियों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है ताकि सरकारी अनुदानों पर उनकी निर्भरता को कम किया जा सके।

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान व्यापारिक सतता</u>

5. समिति नोट करती है कि **1976** में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र **(**एनआईसी**)** सतत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रवर्तक के रूप में उभरा है। एनआईसी के पास विगत 4 दशकों में आईसीटी और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने का समृद्ध अनुभव है। आईसीटी नेटवर्क ''एनआईसीनेट'' की स्थापना करते हुए एनआईसी ने केंद्र सरकार, 37 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत के लगभग 720+ जिला प्रशासनों के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संस्थागत संबंधों को सुगम बनाया है। एनआईसी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और विजन के साथ खुद को जोड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 में एनआईसी ने शासन के सभी स्तरों- केंद्र, राज्य और जिलों- में नागरिक केंद्रित सेवाओं के में सहयोग और उनकी आपूर्ति के लिए विभिन्न आईसीटी पहल किए हैं। जनशक्ति और अवसंरचना के अभाव एनआईसी द्वारा ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और संबंधित गतिविधियों के विस्तार में गतिरोध पैदा करने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। कोविड-19 महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए व्यापार निरंतरता की संबद्ध चुनौतियों ने डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित किया। एनआईसी ने इस अवसर पर इस तरह के कठिन समय में अपनी निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आया। एनआईसी के सामने आने वाली प्रमुख कोविड-19 चुनौतियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल, आईटी डोमेन और नागरिक केंद्रित

एप्लिकेशनों जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को बिना किसी डाउनटाइम के साथ संचालनरत रखना, महत्वपूर्ण सरकारी एप्लिकेशनों को निर्बाध और सतत रखना, महामारी और लॉकडाउन से संबंधित एप्लिकेशनों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए जोखिम मूल्यांकन, वर्क फ्रॉम होम के दौरान अंतिम बिंदु तक सुरक्षा प्रदान करना तथा लॉकडाउन सहित कोविड-19 महामारी के दौरान नए उपकरणों की खरीद करना तथा किसी भी वियर एंड टियर के प्रति उनके बदला जाना शामिल थे। ऐसे कठिन समय में निर्बाध और सुचारू सेवाएं प्रदान करने वाले डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, जिससे कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान व्यापार निरंतरता सुनिश्चित हुई थी, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो और उनके सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से अवसंरचना से संबंधित चिंताओं का समाधान करे ताकि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन जैसे संकट के समय के दौरान महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना का आधार प्रदान करने की उनकी क्षमता और अधिक सुदृढ़ हो।

<u>राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआईसी) - जनशक्ति से संबंधित बाधाएं</u>

6. समिति नोट करती है कि एनआईसी सरकार की आईसीटी आवश्यकताओं के लिए प्रमुख बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंग के रूप में ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रसार के साथ, एनआईसी के संसाधनों की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में एनआईसी के पास 4212 की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 3396 जनशक्ति/प्रौद्योगिकीविद/इंजीनियर हैं। एनआईसी में 1407 (जिसे बाद में 1392 पद कर दिया गया) के सृजन का प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था। इस प्रस्ताव को सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मंजूरी दी थी और सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को सौंप दिया था। कुछ स्पष्टीकरणों का समाधान करने के बाद फरवरी, 2020 में इस प्रस्ताव को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को पुन प्रस्तुत किया गया था। 10 फरवरी 2021 को वित्त मंत्रालय से प्रस्ताव वापस आ गया, जिसमें अतिरिक्त जानकारी की मांग की जा रही है तथा जिन जानकारियों को संकलित किया जा रहा है। वैज्ञानिक-बी और वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए के स्तर पर लगभग 500 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया, जिसे 2020-21 के दौरान पूरा हो जाना था, चल रही है और एनआईसी समूह-क (वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ) में एसएंडटी अधिकारियों की भर्ती के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रहा है, जिसके लिए भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के लिए प्रमुख आईटी अवसंरचना प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, समिति एनआईसी में जनशक्ति की बाधाओं को दूर करने में मंत्रालय के ढुलमुल रवैये के विषय में जानकर चिंतित है। एनआईसी में 1407 (जिसे बाद में 1392 पद कर दिया गया) के सृजन का प्रस्ताव 2014 से लंबित है। वैज्ञानिक-बी और वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए के स्तर पर लगभग 500 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया, जिसे 2020-21 के दौरान पूरी हो जाना था, चल रही है तथा एनआईसी में समूह-क (वैज्ञानिक सी से वैज्ञानिक एफ) के एसएंडटी अधिकारियों के लिए भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं। एनआईसी में जनशक्ति के अभाव, जो लंबे समय से लंबित है और धीमी गति से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह समयबद्ध तरीके से सभी लंबित भर्तियों में ठोस अनुवर्ती कार्रवाई करने के साथ एनआईसी में जनशक्ति की आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा करे। समिति ने कहा कि उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>सीएससी ईगवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड</u>

7. समिति ने नोट किया कि देश भर में सीएससी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कॉमन सर्विसेज सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल (सीएससी-एसपीवी) की स्थापना की गई थी। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार सीएससी-

एसपीवी को सेक्शन 8 की कंपनी तथा आने वाले वर्षों में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि योजना अनुमोदन के अनुसार सीएससी-एसपीवी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था और 16 जुलाई 2009 को इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ऐसी कंपनी के रूप में शामिल किया गया जिसके पास के पास सीएससी एसपीवी में एक स्वर्णिम हिस्सेदारी और जिसके बोर्ड में आवश्यक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ दो निदेशक थे। सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कंपनी के पदेन अध्यक्ष हैं। समिति को यह सूचित किया गया है कि शेयरहोल्डिंग और नियंत्रण के आधार पर यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली एक कंपनी है। समिति को यह बताया गया है कि कंपनी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समिति ने यह भी नोट किया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीएससी एसपीवी को भारत सरकार के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम बनाया है जिसमें योजना के उद्देश्य से सहमतिपूर्वक 'gov.in' डोमेन नाम का उपयोग शामिल है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सीएससी योजना के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए कार्य और समर्थन करता है और नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जब समिति ने इस निकाय की वास्तविक प्रकृति को जानने की इच्छा व्यक्त की तो सचिव ने समिति को बताया गया कि इस इकाई द्वारा 3,37,000 सामान्य सेवा केन्द्र चलाए जाते हैं और यह एक ऐसी कंपनी है जिसे लगभग दस वर्ष पहले मंत्रिमंडल में प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद अस्तित्व में लाया गया था।

समिति का मत है कि इस इकाई की संरचना थोड़ी असामान्य है जिसमें सरकारी संस्थाओं की 50 प्रतिशत इक्विटी है और बैंकों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसकी शेयर धारक हैं। सीएससी-एसपीवी वास्तव में अर्ध सरकारी विशेषताओं वाला एक अनूठा निकाय है। समिति ने सचिव द्वारा दी गई इस जानकारी पर भी ध्यान दिया कि इसके जैसा और कोई नहीं है, ऐसा कोई अन्य साधन नहीं है

जो सेवाएं प्रदान करने ऐसी तत्परता दिखाए। तथापि, यह भी लाभ के लिए एक निकाय है, जो बिना किसी प्रतिस्पर्धी बोली के पर्याप्त सरकारी कार्य प्राप्त कर रहा है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि उसे नामांकन के आधार पर सीएससी-एसपीवी को आवंटित सरकारी परियोजनाओं की संख्या और बोलियां आमंत्रित करने के लिए बिना निविदा जारी किए इन परियोजनाओं को आवंटित करने के कारणों की जानकारी दी जाए। समिति का मानना है कि सीएससी-एसपीवी के गठन और कार्यप्रणाली की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। समिति जानना चाहेगी कि सीएससी-एसपीवी के संबंध में कानून या अधिनियम के किन प्रावधानों के तहत गोल्डन शेयर की अवधारणा शुरू की गई है। समिति की इच्छा है कि सीएससी-एसपीवी के कार्यकरण के संबंध में और ब्यौरा उन्हें प्रस्तुत किया जाए।

<u>गवर्नमेंट इंस्टैंट मैसेजिंग सेवा (जीआईएमएस)</u>

8. समिति नोट करती है कि जीआईएमएस सरकार और नागरिकों के बीच तत्काल और सुरक्षित संदेश के लिए एनआईसी द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स आधारित, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम और स्वदेशी मंच है। मोबाइल ऐप, पोर्टल और गेटवे जीआईएमएस के तीन प्रमुख घटक हैं। जीआईएमएस की मुख्य विशेषताओं में ईमेल और मोबाइल आधारित सेल्फ रजिस्ट्रेशन, वन टू वन मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग सहायता अधिकारी, कैजुअल और लिस्ट ग्रुप्स, फ़ाइल और मीडिया शेयरिंग, ऑडियो/वीडियो कॉल, प्रोफ़ाइल और संपर्क प्रबंधन, संदेश प्रसारण और चैटबॉट सक्षम डैशबोर्ड शामिल हैं। जीआईएमएस वर्तमान में एनडीसी शास्त्री पार्क में होस्ट किया गया है और एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण https:// gims.gov.in पर उपलब्ध हैं। 150 संगठनों के लगभग 50,000 उपयोगकर्ताओं ने ऐप के प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट में भाग लिया है। जीआईएमएस को एनआईसी ईमेल और डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। जीआईएमएस वेब संस्करण उपयोगकर्ता को वेब ब्राउज़र से संदेश भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। डेटा सुरक्षा और निजता से संबंधित बढ़ती चिंताओं के बीच, एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप की सख्त जरूरत थी जो विदेशों में होस्ट किए गए और/अथवा

विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाले ऐसे सर्वरों या डेटा केंद्रों पर भरोसा किए बिना जो भारतीय कानूनों के दायरे से बाहर आते हैं। जीआईएमएस विकसित करने में मंत्रालय के प्रयासों, जो भारतीय नीतियों द्वारा डिजाइन, विकसित और शासित एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है और सरकारी अवसंरचना पर जिसकी होस्टिंग की जाती है तथा जिसका रणनीतिक नियंत्रण दृढ़तापूर्वक भारत सरकार के पास रहता है, की सराहना करते हुए समिति का मानना है कि मंत्रालय के समक्ष बड़ी चुनौती स्वदेश में विकसित जीआईएमएस ऐप का व्यापक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करना है ताकि इसकी वास्तविक क्षमता हासिल की जा सके और यह डिजिलॉकर और उमंग ऐप के साथ हुए अनुभव को दुहराए न जाएं। इसलिए समिति की सिफारिश है कि जीआईएमएस ऐप का उचित प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पहले से ही भरे हुए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्पेस में अपनी पहुंच बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं की न्यूनतम महत्वपूर्ण संख्या तक पहुंच सके। मंत्रालय इन प्लेटफार्मों के मौजूदा उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्बाध रूप से अपनाए जाने के लिए पहले से मौजूद प्लेटफार्मों जैसे एनआईसी ईमेल और ईऑफिस आदि के साथ इसे एकीकृत करने के विकल्पों की भी तलाश करे। समिति चाहती है कि इस संबंध में होने वाली प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम - निधियों के वृहत्तर आवंटन की आवश्यकता</u>

9. समिति यह नोट करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक अंब्रेला प्रोग्राम है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को समामेलन करता है। यह ढेर सारे विचारों और सोच को एक साथ एकल, व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है ताकि उनमें से प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य के अंग के रूप में लागू किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि **2019-20** में मंत्रालय ने 7931.14 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए थे और ब.अ. आवंटन 3750.76 करोड़ रुपये था जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 3212.52 करोड़ रुपये कर दिया गया और वास्तविक उपयोग 3191.09 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2020-21 में 6940.00 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि की के सापेक्ष, मंत्रालय को ब.अ. स्तर पर 3958.00 करोड़ रुपये

आवंटित किए गए थे जो सं.अ. स्तर पर घटकर 3044.82 करोड़ रुपये का रह गया और वास्तविक उपयोग (31.01.2021 तक) 1724.47 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 परिदृश्य को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई बजटीय बाधाओं के कारण कम उपयोग देखा गया। वर्ष 2021-22 में 9527.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले मंत्रालय को 6806.33 करोड़ रुपये की घटी हुई राशि आवंटित की गई है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा आवंटन के अच्छे उपयोग के बावजूद वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित धन की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है। साइबर सुरक्षा परियोजनाओं (एनसीसीसी और अन्य) और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने जैसी दो योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं को 2021-22 के लिए प्रस्तावित राशि से कम आवंटित किया गया है। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली दो योजनाओं, जिन्हें बल्क में निधि आवंटित की गई है, में से पहली योजना के लिए **2631.32** करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई जो **4200.00** करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि का 62.65 प्रतिशत है। मंत्रालय की सभी उप-योजनाओं को एक साथ जोड़ने वाले प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए समिति की सिफारिश है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन का मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाए ताकि धन की कमी के कारण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली उप-योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब न हो।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विनिर्माण को बढ़ावा</u>

10. समिति यह नोट करती है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की मांग तेजी से बढ़ रही है और यह 2016-17 में 5,10,258 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 7,75,000 करोड़ रुपये हो गई। तथापि, आयात के माध्यम से पूरी की जाने वाली इस मांग का प्रतिशत 2016-17 के 45.60 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 38.00 प्रतिशत हो गया है। समिति आगे यह नोट करती है

कि जहां आयात के माध्यम से पूरी की गई मांग के प्रतिशत में क्रमिक रूप से गिरावट आई है, वहीं मांग में समग्र वृद्धि इस प्रभाव को शून्य कर देता है क्योंकि मात्रा बहुत अधिक है और इसलिए घरेलू उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि के बावजूद विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की खरीद के लिए अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने और उद्योग जगत द्वारा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा किए जाने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के बजटीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। 2020-21 की तुलना में जब योजना के अंतर्गत 980 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था, इस वर्ष 2631.32 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष किए गए आबंटन का 2.68 गुणा है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि बढ़े हुए आबंटन का उपयोग इस वर्ष चलाई गई तीन नई योजनाओं अर्थात् बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सेमी कंडक्टर्स विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (एसपीईसीएस) और मोडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0) योजना के लिए किया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन दावों और अन्य संतिवरण वित्त वर्ष 2021-22 से किए जाने की आवश्यकता होगी। उत्पादन संबद्ध योजना मोबाइल फोन विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के विनिर्माण में वृद्धिमान स्तर पर पात्र कंपनियों को 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देने का प्रावधान करती है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक की चिन्हित सूची हेतु पूंजीगत व्यय पर वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करती है। दूसरी तरफ, मोडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी 2.0) का लक्ष्य विश्व-स्तरीय अवसंरचना का सृजन करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है। यह देश में ईएमसी परियोजनाओं सामान्य सुविधा केंद्र दोनों को स्थापित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर प्रोत्साहन पर नए सिरे से जोर

देने के मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, जो कि बजटीय आबंटन में वृद्धि तथा तीन नई योजनाओं को चलाने से स्पष्ट है, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को सहायता प्रदान करने हेतु अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए चालू और नई योजनाओं के बीच समग्र दृष्टिकोण अपनाने तथा परस्पर तालमेल सुनिश्चित करे। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों और अन्य विशिष्ट ब्यौरे पर कार्य करे और उन्हें अंतिम रूप दे।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण प्रेात्साहन-कोविड-19 का प्रभाव</u>

11. समिति नोट करती है कि वर्ष 2020 के आरंभ में वायरस संक्रमण फैला और इससे इलेक्ट्रॉनिक सामान की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ जो काफी हद तक एक देश पर निर्भर है। उद्योग प्राक्कलन के अनुसार जनवरी और फरवरी के महीने में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं की वस्तु तालिकाएं 40 प्रतिशत तक घट गई थीं जिसके कारण उत्पादन में कमी आई। मार्च 2020 में महामारी की गंभीरता के कारण अन्य देशों से ऐसे संघटकों के आयात के स्रोत तलाशने की चर्चा हो रही थी। ऐसी संभावनाएं तलाशने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों को आयोजित करने के लिए उद्योग संघों द्वारा सलाह दी गई थीं। परिणामस्वरुप, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अल्पकालीन से लेकर मध्यकालीन और दीर्घकालीन अनेक उपाय किए गए थे। अल्पकालीन से लेकर मध्यकालीन उपायों के रुप में, एकल बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हुए भारत में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात को स्रोत के आधार को बढ़ाने हेतु कदम उठाने का निर्णय लिया गया। दीर्घकालीन उपायों के रुप में भारत में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में, एमईआईटीवाई ने तीन नई योजनाएं अधिसूचित की हैं जैसे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सेमीकंडक्टर्स विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (एसपीईसीएस) और मोडिफाइड इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0) योजना/योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में

बड़े निवेश को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करने तथा घरेलू मूल्यवर्धन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। इन तीन उपायों के अतिरिक्त, भारतीय राजदूतावासों, उद्योग-संघों तथा स्थानीय उद्योग के साथ समन्वय करके भी वैकल्पिक आपूर्ति की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु नई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। समिति यह पाती है कि कोविड-19 महामारी ने वास्तव में वैश्विक विनिर्माण इकोसिस्टम में जागृति उत्पन्न की है और आपूर्ति श्रृंखला (ईएसडीएम सहित) बहुत हद तक एक देश पर निर्भर है तथा स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात के आधार को विस्तृत करने की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय से जोर देकर कहती है कि वह भारत पर ध्यान दे और वह भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारत में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने तथा भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु विविधिकरण की वैश्विक भावना का दोहन करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

<u>आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस)</u>

12. समिति नोट करती है कि आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) को देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईएसडीएम क्षेत्र में अक्षमता को दूर करने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा जुलाई, 2012 में आरंभ किया गया था। यह योजना विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में निवेश हेतु 20 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए तथा गैर-विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए राजसहायता प्रदान करती है। ये प्रोत्साहन सभी समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मूल्य श्रृंखला वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा संघटकों की 44 श्रेणियों/वर्टिकल्स के लिए उपलब्ध हैं। इसमें 15 और उत्पाद वर्टिकल्स सम्मिलित करके तथा और अधिक निवेश आकर्षित करके योजना की अवधि में विस्तार करने तथा योजना की व्याप्ति में वृद्धि करने के लिए अगस्त, 2015 में संशोधन किया गया है। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी, 2017 में और संशोधन किया गया था। यह योजनाएं निवेश संबंधित आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय मूल्यांकन समिति का प्रावधान करती है। मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। एम-एसआईपीएस योजना आवेदन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर, 2018 तक खुली हुई थी और अब इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन आवेदन की अनुमोदन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध हैं। एमएसआईपीएस योजना के अंतर्गत अब तक 26 दावों के लिए 20.81 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है। इस वर्ष व्यय

मुख्यत: महामारी आने के कारण कम रहा है। इसके कारण निवेश में विलंब हुआ है और कंपनियों के प्रचालन पर प्रभाव पड़ा है। आईएफसीआई लिमिटेड (सत्यापन एजेंसी) द्वारा 20 दावों के लिए 105 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। इन दावों के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरक्ति, 90 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के दावे आईएफसीआई लिमिटेड के पास सत्यापन की अग्रिम अवस्था में हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक योजना के अंतर्गत 315 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एमएसआईसी के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का लक्ष्य है। समिति योजना के अंतर्गत प्रोतसाहन राशि के संवितरण की धीमी गति को नोट करके चिंतित है। यह योजना 31 दिसंबर, 2018 तक आवेदकों के लिए खुली थी और 2012-13 से कुल 334 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, 8593.00 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रोत्साहनों में से अब जारी की गई राशि मात्र 1072.03 करोड़ बैठती है जो प्रतिबद्ध प्रोत्साहन राशि का केवल 12.47 प्रतिशत है। यदि 2021-22 के दौरान भी यही गति रही तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र बनाना अस्वाभाविक होगा। मंत्रालय को योजना में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि यह लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह समुचित उपाय करे ताकि योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के संवितरण में तेजी आए।

<u>साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)</u>

13. समिति नोट करती है कि योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, इंसिडेंट-अर्ली वार्निंग एंड रिस्पांस, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण, सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान और विकास, कानूनी ढांचा और सहयोग सुगम बनाने जैसी अनेक पहल करके देश की साइबर स्पेस भी सुरक्षा की दिशा में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। कोविड-19 महामारी और लॉक-डाउन की स्थिति के कारण एनसीसीसी परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरुप वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान निधियों का कम उपयोग हुआ। इसके परिणामस्वरूप सं.अ. स्तर पर आबंटन 170 करोड़ रुपये से घटकर 80 करोड़ रुपए हो गया। एनसीसीसी की स्थापना हेतु परियोजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए 770 करोड रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था और इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् अप्रैल, 2015 में आरंभ किया गया था। चरण-एक में थ्रेड एंड सिचुएशनल अवेयरनेस (एनसीसीसी टेस्ट बेड) संबंधी परियोजना को जुलाई, 2017 में शुरू किया गया था। इस स्तर पर आईएसपी और संगठनों की 20 साइटों से मेगा डाटा का

विश्लेषण किया जा रहा है। 15 और सुदूर स्थलोंको भी अगस्त, 2021 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016 में कुल 65 पदों (60 एसएंडटी तथा 5 गैर-एसएंडटी) को स्वीकृति दी गई थीं जिनमें से 57 पद भरे गए हैं (54 एसएंडटी और 3 गैर-एसएंडटी) शेष पदों के लिए भर्ती चल रही हैं। एनसीसीसी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार शेष 59 पदों (एसएंडटी तथा गैर-एसएंडटी) के सृजन हेतु व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। यदि अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है तो एनसीसीसी को पूरी तरह से एक वर्ष की अवधि में कार्यान्वित कर दिया जाएगा। समिति यह नोट करके चिंतित है कि एनसीसीसी स्थापित करने की परियोजना काफी पहले अप्रैल, 2015 में आरंभ की गई थी और इसका परिव्यय 770 करोड़ रुपए था और 5 वर्षों की अवधि में इसे पूरा किया जाना था और इसके लिए वित्त वर्ष 2017-18 से बजट आबंटन मिलना शुरू हुआ था और इसके कार्यान्वयन में धनराशि की कमी के कारण विलंब हुआ था। देश में संवेदनशील सूचना प्रौद्योगिकी पर साइबर अटैक आम-बात हो गई है और संवेदनशील आईटी अवसंरचना की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनसीसीसी की और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। साइबर स्पेस से जुड़े मुद्दों से निपटने में अति सक्रिय एजेंसी के रूप में एनसीसीसी की स्थापना में मंत्रालय के ढुलमुल रवैऐ को देश सहन नहीं कर सकता। समिति की इच्छा है कि वित्त मंत्रालय के विचाराधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तेजी लाई जाए और मंत्रालय साइबर सुरक्षा परियोजनाओं (एनसीसीसी) योजना हेतु धनराशि के पर्याप्त प्रावधान करे ताकि एनसीसीसी की स्थापना में और विलंब नहीं हो।

<u>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा</u>

14. समिति नोट करती है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। 300 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि के स्थान पर वर्ष 2021-22 के लिए 1500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तावित राशि की तुलना में इस योजना के आबंटन में अत्यधिक पांच गुना वृद्धि के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया है कि डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का आवश्यक पहलू है। डिजिटल भुगतान लेन-देन पिछले कुछ वर्षों से निरंतर बढ़ रहा है। कुल लेन-देन का मूल्य 2017-18 में 2071 से बढ़ाकर 2019-20 में 4572

करोड़ रुपये हो गया है। 13 फरवरी, 2021 के अनुसार लगभग 4306 करोड़ रुपये के डिजिटल भुगतान लेन-देन का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। सरकार ने 01 जनवरी, 2020 से यूपीआई और रूपे कार्ड लेन-देन पर एमडीआर भी माफ किया है जिससे बैंकों द्वारा निवेश की आवश्यकता कम हुई है। यद्यपि, डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है फिर भी अभी अपार संभावना है। चूंकि भारतीय बाजारों में नकदी का ही प्रचलन ज्यादा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिए जाने की सतत आवश्यकता है। इसके लिए अनटैप्ड बाजारों/खंडों/क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि 2017 में घोषित डिगीधन मिशन भारत में डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मुख्य उत्प्रेरक रहा है। मिशन द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और कदमों में व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए 'भीम' कैशबैक योजनाएं, 'भीम' आधार मर्चेंट प्रोत्साहन योजना, भीम यूपीआई मर्चेंट ऑनबोर्डिंग योजना, एमडीआर प्रतिपूर्ति योजना, डिजिटल पेमेंट्स डैशबोर्ड का सृजन, भीम यूपीआई और रुपे ग्लोबली, घरेलू पेमेंट सौल्यूशन का संवर्द्धन और डिजिटल पेमेंट्स इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए सतत अभियान शामिल है। बढ़ते हुए फिनटेक इको-सिस्टम और कोविड-19 के कारण उपभोक्ता व्यवहार तथा वित्तीय समावेशन के इर्द-गिर्द सरकार की नीतियों के कारण 2025 तक डिजिटल भुगतानों में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है। समिति यह भी महसूस करती है कि डिजिटल भुगतानों में अत्यधिक वृद्धि होने वाली है और इस योजना के लिए बजट में वृद्धि करना सही दिशा में एक कदम है। डिजिटल भुगतानों के संवर्द्धन में 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि लेस कैस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास किए जाएं। समिति यह भी चाहती है कि डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के अलावा डिजिटल भुगतानों के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए बढ़ाए गए आबंटन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

<u>डिजिटल भुगतानों का संवर्द्धन-सुरक्षा उपाय और शिकायत निवारण</u>

15. समिति नोट करती है कि जब उपभोक्ता तेजी से नो-कैश मोड पेमेंट्स को अपना रहे हैं उसी समय डिजिटल लेन-देनों में धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक उपाय जैसे समय-समय पर परिपत्र जारी करना/मार्ग-निर्देश जारी करना और सीईआरटी-इन द्वारा जानकारी देने और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरुकता जगाने के लिए अलर्ट्स और परामर्श जारी किए जाते हैं।

सूचना और शिक्षा अभियान के अलावा, डिजिटल भुगतानों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए एक मजबूत शिकायत-निवारण तंत्र आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान शिकायत को उपभोक्ता कार्य विभाग के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म के साथ उपयोग हेतु उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के साथ जोड़ दिया है। सभी मुख्य बैंकों और वित्तीय सेवा संस्थानों को एनसीएच प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है। यह प्लेटफॉर्म जीवंत है और डिजिटल भुगतान से संबंधित शिकायतों को प्राप्त कर रहा है। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान और डाटा की सुरक्षा से संबंधित साइबर अपराधों के पीडितों हेतु किसी केन्द्रीकृत हेल्पलाइन के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल **cybercrime.gov.in** हेल्पलाइन नंबर **155260** पर गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह पोर्टल भारत सरकार की पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराधों की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को सुकर बनाने के लिए एक पहल है। यह पोर्टल ऑनलाइन वित्तीय धोखाधडियों क्रिप्टोकरेंसी और रैनसोमवेयर से संबंधित शिकायतों की जरुरतों को भी पूरा करता है जबकि डिजिटल भुगतानों का संवर्द्धन सरकार के लिए मुख्य क्षेत्र है, समिति महसूस करती है कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय और शिकायत निवारण तंत्र होना डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसलिए यह नोट करके चिंतित है कि डिजिटल भुगतान से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है और बढ़ते हुए डिजिटल/ऑनलाइन लेन-देनों के कारण केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन बनाकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिससे डिजिटल/ऑनलाइन लेन-देनों से संबंधित मामलों से निपटा जा सकेगा जो न केवल साइबर अपराध से संबंधित भुगतानों के पीड़ितों की सहायता करेगा बल्कि इससे मामलों को तेजी से समाधान करने में भी सहायता मिलेगी। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस संबंध में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ अपना सहयोग बढ़ाए और डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम को नागरिकों के लिए और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करे। इस दिशा में उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>को-विन एप</u>

16. समिति नोट करती है कि को-विन एप कोविड-19 से संबंधित मुख्य पहल रही है जिसके माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है। को-विन पोर्टल और इसका अनुप्रयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और इस मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर एनआईसी द्वारा केवल तकनीकी मार्ग-निर्देश दिया गया था। को-विन एप आरोग्य सेतु एप के साथ मिलकर कार्य करेगा जिसे अब तक **16.92** करोड़ उपभोक्ताओं ने डाउनलोड किया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य सेतु पर ही नागरिकों के लिए फ्रंट एंड भी तैयार किया है। आरोग्य सेतु एप में पहले ही कोविड-19 टीकाकरण में हुई प्रगति के बारे में जानकारी होगी। आरोग्य सेतु एप पर शीघ्र ही पचास वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण सेवाएं खुल जाएंगी। तत्पश्चात् वह लोग हेल्थ आईडी जनरेट करने और टीका लगवाने के लिए सत्र कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करने हेतु आरोग्य सेतु एप का उपयोग कर सकेंगे। को-विन एप बैक एंड एपलीकेशन के रूप में कार्य करेगा जो उन स्थानों पर सत्र को सुचारू रूप से आयोजित करने में सुकर होगा जहां टीकाकरण चल रहा है और आरोग्य सेतु एप फ्रंट एंड सिटीजन-फेसिंग एपलीकेशन के रूप में कार्य करेगा। को-विन और आरोग्य सेतु एप्स जैसी प्रौद्योगिकी पहलों के विकास के लिए मंत्रालय की सराहना करते हुए समिति दोनों एप्स के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है क्योंकि उन्हें पृथक रूप से क्रमश: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकसित किया है लेकिन दोनों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी होने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। जैसे-जैसे कोविड-19 टीकाकरण आगे बढ़ेगा। दोनों एप्स का उपभोक्ता आधार बढ़ने की संभावना है जो उन्हें साइबर स्पेस से होने वाले हमलों के लिए संवेदनशील और लाभप्रद लक्ष्य बनाता है जैसा कि हाल ही में कोविड-19 टीका कोल्ड चेन पर विश्व भर में फिशिंग हमले होने की खबरें सामने आई थी। अत: समिति सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएं कि आरोग्य सेतु एप और को-विन एन दोनों ही साइबर-स्पेस से होने वाले हमलों का शिकार न बनें।

<u>न्यू-एज गवर्नेंस हेतु एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन</u>

17. समिति नोट करती है कि न्यू ऐज गवर्नेंस का एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन 23 नवंबर, 2017 को जारी किया गया था और डिजीलॉकर के साथ समेकित कोर प्लेटफॉर्म, पे-गवर्नेमेंट तथा रैपिड मूल्यांकन प्रणाली के रूप में मुख्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रुप में विकसित किया गया है। 31 अक्तूबर, 2020 तक 'उमंग' में केंद्र सरकार के 189 विभागों और 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के विभागों से लगभग 2039 सेवाएं (860-केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाएं, 1179-बिल भुगतान सेवाएं) हैं और निरंतर रूप से कई और विभागों को इसमें शामिल किया जा रहा है। अंग्रेजी के अलावा यह 12 भारतीय भाषाओं में है और यह क्लाउड पर काम करता है। समिति नोट करती है कि 23 नवंबर, 2017 को इसे शुरू किए जाने से और 28

अक्तूबर, 2019 अर्थात् लगभग दो वर्ष के समय में कुल 1.93 करोड़ लोगों ने 'उमंग' डाउनलोड किया। जनवरी, 2021 तक यह संख्या 3.83 करोड़ तक पहुंच गई अर्थात् अगले 15 महीनों में डाउनलोड में 1.93 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, 3.83 करोड़ पर भी यह भारत की जनसंख्या के बहुत कम प्रतिशत को कवर करता है। 31 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार 'उमंग' केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विभागों से संबंधित 1051 सेवाएं और 19,474 बिल भुगतान सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इनमें से बिलर्स की लगभग 18,000 सेवाएं केवल दिसंबर, 2020 में जोड़ी गई थी। इस एप के प्रति बहुत ही उत्साहहीन प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए समिति ने अनुदानों की मांगों (2019-20) पर अपने चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि 'उमंग' एप के प्रति खराब प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाने के लिए एक अनुमान और मूल्यांकन सर्वेक्षण/उपभोक्ता अध्ययन किया जाए। मंत्रालय ने सूचित किया है कि आईआईएम लखनऊ के प्रोफेसर सत्य भूषण दास द्वारा एक छोटा उपभोक्ता और समेकित विभाग अध्ययन किया गया था जिसमें एप के कुछ पहलू शामिल थे और 'उमंग' परियोजना के कुल प्रभाव का आकलन का विश्लेषण करने के लिए एक आरएफपी जारी किया गया है जिसमें आउटपुट और आउटकम के संदर्भ में प्राप्त किए गए लाभों, गैप आकलन, चुनौतियों सुधार इत्यादि के संबंध में ब्यौरों सहित एप के व्यक्तिगत उपभोक्ता और प्रदाता (विभाग/मंत्रालय) शामिल हैं। वर्तमान में उसके लिए चार निविदाएं प्राप्त हुई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। समिति आम जनता से 'उमंग' मोबाइल एप के प्रति धीमी/खराब प्रतिक्रिया को देखकर चिंतित है जिसके परिणामस्वरुप अपेक्षा से कम डाउनलोड हुए हैं। बिल भुगतान सेवाओं के अलावा उपलब्ध 1051 सेवाओं को बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। लेकिन, साथ ही भारी संख्या में सेवाओं की उपलब्धता तब तक व्यर्थ है जब तक कि इस एप की तरफ पर्याप्त संख्या में उपभोक्ताओं को आकर्षित नहीं करते हैं। समिति उस एप के प्रति इतना कम अंशदान देखकर अचंभित है जो अपने उपभोक्ताओं को तेज, सुरक्षित, आसान और लागत प्रभावी रूप में इतनी अधिक सेवाओं की उपलब्धता की पेशकश करती है। इस परिदृश्य में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि मंत्रालय उन कारणों का पता लगाने के लिए एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराए कि इसमें गलती कहां पर हो रही है। अत: समिति

सिफारिश करती है कि इस मोबाइल एप के प्रति खराब प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाया जाए और 'उमंग' परियोजना के कुल प्रभाव मूल्यांकन के विश्लेषण के लिए जारी किए गए आरएफपी में तेजी लाई जाए ताकि समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

नई दिल्ली; 8 मार्च, 2021 17 फाल्गुन, 1942 (शक)	डॉ. शशि थरूर, सभापति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति